



LIFE
Lifestyle for
Environment



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

ऐंचवारा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

चित्रकूट





क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ऐंचवारा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री अभिषेक आनंद, आईएएस, जिलाधिकारी (डीएम), चित्रकूट
सुश्री अमृतपाल कौर, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), चित्रकूट

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री रिया सेठिया, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, श्री नवीन कुमार, सुश्री फातिमा सैला

ऐचवारा ग्राम पंचायत

श्री सुनील कुमार शुक्ल, ग्राम प्रधान

क्षेत्र शोध समर्थन

ग्राम उन्मेष संस्थान

श्री अंबरीश कुमार श्रीवास्तव, श्री संजय कुमार, श्री हेमराज सिंह, सुश्री वंदना

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया





अभिषेक आनन्द

आई. ए. एस.

जिलाधिकारी, चित्रकूट

कार्यालय
जिलाधिकारी, चित्रकूट



फोन : 05198-235118 (कार्यालय)

235305, 235016 (आवास)

मोबाइल : 9454417532

ई-मेल : dmchi@nic.in

संख्या(मेमो)...

दिनांक २५/०१/२०२५

संदेश

ग्राम पंचायतों को जलवायु राजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत एंचवारा, विकास खण्ड मानिकपुर, जनपद चित्रकूट की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हैं और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा ग्राम उन्मेश संस्थान, चित्रकूट को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी।

धन्यवाद !

(अभिषेक आनन्द)



पता:- विकास भवन, सोनेपुर,
चित्रकूट - 210205
दूरभाष:- 9454664772, 05198298323
ई-मेल:- cdo.ck1@gmail.com

संदेश

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत ऐचवारा, विकास खण्ड मानिकपुर, जनपद चित्रकूट की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। ग्राम पंचायत हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा ग्राम उन्मेश संस्थान, चित्रकूट के समर्पित प्रयासों के लिये हार्दिक शुभ कामनाओं के साथ एक बार फिर क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में योगदान के लिये अमार व्यक्त करती हूँ तथा योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय व पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करती हूँ।

धन्यवाद !

भवदीया,
(अमृतपाल कौर)
मुख्य विकास अधिकारी,
चित्रकूट।

प्रधान ग्राम पंचायत ऐंचवारा

क्षेत्र पंचायत मानिकपुर (चित्रकूट) 30प्र0

सुनील शुक्ल
प्रधान
ग्राम- ऐंचवारा

सम्पर्क सूत्र-
9455826501

पत्रांक-

ग्राम पंचायत ऐंचवारा, विकास खण्ड मानिकपुर,
जनपद चित्रकूट

दिनांक -

आगार


सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत ऐंचवारा, जनपद चित्रकूट की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वास्थ्य होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर हेतु बढ़ाये गये प्रथम कदम/प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा ग्राम उन्मेष संस्थान, चित्रकूट का तथा आंकड़े एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल यातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर बसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, का भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद !

(प्रधान) 
24-1-24

ग्राम पंचायत ऐंचवारा

विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की प्रोफ़ाइल	4
	1. ऐंचवारा पंचायत एक नजर में	4
	2. जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	3. प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	4. कार्यरत महिलाएं	7
	5. कृषि	7
	6. प्राकृतिक संसाधन	8
	7. ऐंचवारा में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित मुद्दाव	12
	1. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	13
	2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	18
	3. सतत कृषि	23
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	28
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	34
	6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता	45
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	51
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	55
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	61
8	आगे की राह	67
9	अनुलग्नक	68

चित्र

चित्र 1	: ऐंचवारा ग्राम पंचायत, चित्रकूट ज़िला का भूमि उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2	: ऐंचवारा में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) वर्ष 1990-2020	6
चित्र 3	: ऐंचवारा में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2020	6
चित्र 4	: ऐंचवारा में घरेलू स्तर पर आय का प्राथमिक स्रोत	6
चित्र 5	: वार्षिक आय के आधार पर ऐंचवारा में परिवारों का वितरण	6
चित्र 6	: ऐंचवारा में कृषि पर निर्भर परिवारों की संख्या	7
चित्र 7	: ऐंचवारा में प्रति वर्ष फ़सल का प्रकार और संबंधित उपज	7
चित्र 8	: ऐंचवारा में फ़सल का प्रकार और संबंधित भूमि क्षेत्र	8
चित्र 9	: वर्ष 2022 में ऐंचवारा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 10	: वर्ष 2022 में ऐंचवारा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की ऐंचवारा ग्राम पंचायत बुंदेलखंड कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। ऐंचवारा की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने और 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य के साथ तैयार की गई है। यह कार्ययोजना अतिरिक्त राजस्व का सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त करते हुए लचीलापन बनाने, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, जोखिम और संबंधित खतरे को कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करने हेतु एक ग्राम पंचायत आधारित-विशिष्ट रोडमैप प्रदान करती है।

प्रस्तुत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार तैयार किया गया है। ऐंचवारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे ऐंचवारा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।

कार्ययोजना में प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, बुंदेलखंड कृषि-जलवायु क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन-शीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को विस्तार से परिभाषित किया गया है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चा और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों द्वारा प्राप्त जानकारी को भी सम्मिलित किया गया है। इससे पंचायत में पर्यावरण संबंधी मुद्दों की पहचान करने और चर्चा हेतु आधारभूत संचयन का निर्माण करने में मदद मिली है।

क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव और दस मजरे और पंचायत में 900 घर हैं जिनकी कुल आबादी 6,000 है²। यहाँ लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़ों का संकलन : ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग तथा ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) तकनीक, जिसमें समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण, सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण आदि सम्मिलित है, द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया।

डेटा विश्लेषण एवं योजना विकास

- पंचायत की रूपरेखा तैयार करना : सर्वेक्षण प्रभावली द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर पंचायत की एक विस्तृत रूपरेखा विकसित की गई जिसमें ऐंचवारा की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियां, प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं संलग्न हैं।
- प्रमुख मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रभावली और एचआरवीसीए में प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से प्रमुख विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान: ऐंचवारा में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया
- प्रस्तावित संस्तुतियाँ/सुझाव: पर्यावरण और जलवायु संबंधी पहचाने गए मुद्दों के आधार पर ऐंचवारा हेतु सुझाव विकसित किए गए। ये सुझाव बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। इसके अतिरिक्त, ऐंचवारा की क्षेत्र-वार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना को तैयार करते समय सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ जलवायु नेतृत्व के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी।

* गतिविधियों में संलग्न हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष/पराती जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, चावल की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन के साथ-साथ खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) के पहलुओं को भी सम्मिलित किया गया है।

2 जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़े कुल परिवार की संख्या 643 है।

कृषि और पशुपालन है। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि ऐंचवारा ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट $\sim 1,965 \text{ tCO}_2\text{e}$ है³।

ऐंचवारा ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही के लिए पहचाने गए कुछ प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा और उर्जा दक्ष समाधानों का उपयोग करना, जैसे सोलर रूफटॉप, सौर पंपों, कृषि-फोटोवोल्टिक, और घरों और सार्वजनिक सुविधाओं में उर्जा दक्ष फिक्स्टुरेस आदि।
- उपलब्ध सामान्य भूमि व सड़को, कृषि क्षेत्रों तथा जल स्रोतों के किनारे वृक्षारोपण गतिविधियों के माध्यम से हरियाली को बढ़ाना
- सूक्ष्म सिंचाई और शून्य बजट प्राकृतिक खेती तकनीकों को बढ़ावा देकर सतत और सूखा प्रतिरोधी खेती प्रथाओं को मजबूत करना
- आजीविका विकल्पों में विविधता लाना और हरित संबंधी नौकरियों के अवसर बनाना

पर्यावरण और जलवायु संबंधी पहचाने गए मुद्दों के आधार पर ऐंचवारा हेतु सुझाव विकसित किए गए। ये सुझाव बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। इसके अतिरिक्त, ऐंचवारा की क्षेत्र-वार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

सुझावों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) और चरण III (2030-2035)। चरण-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतवासियों के विवेकानुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत और केंद्र और राज्य में संचालित योजनाएँ के साथ सुझाई गई संस्तुतियों के लिए वित्तपोषण के तरीके भी सुझाए गए हैं।

ऐंचवारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गयी है कि इसे ऐंचवारा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऐंचवारा की जीपीडीपी को और सुदृढ़ बनाएगी:

- वर्तमान विकास कार्यों एवं गतिविधियों में जलवायु दृष्टिकोण को सम्मिलित करेगी
- जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और प्रदेश के कार्यक्रमों का जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जुड़ाव

इस कार्ययोजना के अंतर्गत हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को ऐंचवारा जीपीडीपी की नियोजित गतिविधियों के साथ अभिसरण करते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा बजटीय आवंटन का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के "गैर-पारंपरिक ऊर्जा" विषय के अंतर्गत निर्धारित निधि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के परिनियोजन को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस कार्ययोजना के माध्यम से कुल उत्सर्जन प्रति वर्ष 4,286 टन कार्बन डाइऑक्साइड ई उत्सर्जन (tCO_2e) से अधिक कम होने का अनुमान है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 95,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO_2) तक बढ़ जायेगी। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कम होने वाले कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष 4,286 tCO_2e है और अगले 20-25 वर्षों में प्रथिक्करण क्षमता की सम्भावना 95,000 tCO_2e है। इस योजना के तीन चरणों में कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹59 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग मुख्य रूप से सम्मिलित है। इस धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹20 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को सम्मिलित करने और निजी वित्त एकत्र करने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।


3 इसमें ग्राम पंचायत में बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन (यूपीपीसीएल से प्राप्त डेटा और सीईए से प्राप्त ग्रिड एमिशन फैक्टर) शामिल है।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना
















क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



ऐंचवारा

ऐंचवारा ग्राम पंचायत एक नजर में⁴

	स्थान	मानिकपुर ब्लॉक, चित्रकूट जिला
	कुल क्षेत्रफल⁵	1,430 हेक्टेयर
	संघटन	1 राजस्व गांव और 10 टोले
	कुल जनसंख्या⁶	6,000
	पुरुषों की संख्या	3,143
	महिलाओं की संख्या	2,857
	कुल परिवार⁷	900
पंचायत अवसंरचना		
	6 -	ग्राम पंचायत भवन, प्राथमिक, जूनियर और जूनियर हाई स्कूल, आंगनवाड़ी और आशा केंद्र
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि
भूमि उपयोग⁸		
	300	हेक्टेयर कृषि भूमि
	400	हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि
	522	हेक्टेयर वन भूमि
	208	हेक्टेयर शेष भूमि

जल संसाधन	
	बाल्मीकि नदी ⁹
	6 तालाब
	25 कुएं
कृषि-जलवायु क्षेत्र¹⁰	
बुंदेलखंड	
	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु परिस्थितियाँ: कम वर्षा और उच्च तापमान वाला अर्ध-शुष्क अधिकतम तापमान: 47.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान: 3 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक वर्षा: 867 मिमी मिट्टी: चट्टानी और कम उपजाऊ उपयुक्त फसलें: दालें, तिलहन, मोटे अनाज और सूखा प्रतिरोधी फसलें जैसे जौ और ज्वार संवेदनशीलता: सूखे की सम्भावना
	जिले की समग्र भेद्यता¹¹
	मध्यम
	जिले की क्षेत्रीय भेद्यता
	<ul style="list-style-type: none"> कृषि भेद्यता सूचकांक : बहुत उच्च आपदा प्रबंधन भेद्यता सूचकांक : उच्च ऊर्जा भेद्यता सूचकांक : उच्च जल भेद्यता सूचकांक : मध्यम ग्रामीण भेद्यता सूचकांक : मध्यम स्वास्थ्य भेद्यता सूचकांक : मध्यम वन भेद्यता सूचकांक : मध्यम

4 योजना की तैयारी के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण से डेटा (फरवरी, 2023)

5 भुवन पंचायत की वेबसाइट (<https://भुवन पंचायत.nrsc.gov.in/index.html>) से साभार

6 डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार


7 ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के साथ की गई चर्चा के अनुसार (डेटा संग्रह के दूसरे दौर में) - 900; जनगणना 2011 डेटा: कुल परिवार = 643

8 ग्राम पंचायत के साथ कई चरणों की चर्चा के बाद प्राप्त आंकड़ों से।

9 चित्रकूट धाम कर्वी से 15 किमी दूर स्थित

10 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

11 जलवायु परिवर्तन पर यूपी राज्य कार्ययोजना 2.0



ऐंचवारा ग्राम पंचायत

माणिकपुर ब्लॉक
ज़िला चित्रकूट
उत्तर प्रदेश राज्य

स्रोत: स्पेस बेस्ड इनफार्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग
<https://bhuvan-panchayat3.nrsc.gov.in/>

चित्र 1: ऐंचवारा ग्राम पंचायत, चित्रकूट ज़िला का भूमि उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)¹² से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता (तापमान और वर्षा) - के आंकड़े बताते हैं कि 1990 और 2020 के बीच क्षेत्र (चित्रकूट जिला) में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली कमी आई है (चित्र 2 देखें)। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में भी गिरावट आई है (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ों से पंचायत स्तर की तापमान परिवर्तनशीलता का विवरण मुश्किल है और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए डेटा उपलब्ध नहीं था।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच सम्पूर्ण एशिया विश्व की भूमि और महासागर औसत से अधिक तेजी से गर्म हुए हैं और 2010-2020¹³ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी प्रकार के निष्कर्षों की पुष्टि आईपीसीसी¹⁴ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹⁵ द्वारा भी की गयी है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 20 दिनों की वृद्धि और शीतकाल के दिनों की संख्या लगभग 30 दिन की कमी देखी गई है। इसके साथ-साथ, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 20-25 दिनों¹⁶ की कमी आई है।

ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के बारे में संतुलित दृष्टिकोण सामने लाने के लिए आईएमडी डेटा के साथ-साथ सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया।


12 1990 से 2020 तक का आईएमडी डेटा (दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) डेटा और दैनिक वर्षा डेटा), फतेहपुर, बांदा व प्रयागराज (इलाहाबाद) के मौसम केंद्रों से लिया गया

13 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int) <https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>


14 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch) <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

15 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार की रिपोर्ट। | <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2> |

16 योजना की तैयारी के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ें




चित्र 2: ऐंचवारा में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) वर्ष 1990-2020



चित्र 3: ऐंचवारा में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2020¹⁷


प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

क्षेत्र सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृषि ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत है और 35% परिवार कृषि पर निर्भर हैं। इसके बाद कई परिवार पशुपालन गतिविधियों में लगे होना और गैर-कृषि मजदूरी-श्रम में संलग्न है। कुछ परिवार व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, लघु उद्योग/कुटीर उद्योग, कला/हस्तशिल्प और अन्य गतिविधियों में संलग्न हैं (चित्र 4)।



चित्र 4: ऐंचवारा में घरलू स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत

परिवारों की औसत वार्षिक आय के विषय पर समूह केन्द्रित चर्चाओं से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि 25 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय रु० 50,000 कम है तथा बहुत ही कम परिवारों (10 प्रतिशत) की वार्षिक आय रु० 5,00,000 से ज़्यादा है (चित्र 5 देखें)। सर्वेक्षण के दौरान कुल परिवारों के सापेक्ष 450 परिवार यानी लगभग 50 प्रतिशत गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे है।



चित्र 5: वार्षिक आय के आधार पर ऐंचवारा में परिवारों का वितरण

17 वर्ष 2009 के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है

कार्यरत महिलाएं

ऐंचवारा ग्राम पंचायत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं (31 प्रतिशत) मजदूरी (गैर-कृषि) और कृषि क्षेत्र (26 प्रतिशत) हैं। शेष महिलाएँ पशुपालन, सेवा क्षेत्र, लघु/कुटीर उद्योग और सिलाई/सिलाई जैसी अन्य गतिविधियों में नियुक्त हैं।

क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐंचवारा ग्राम पंचायत में 9 स्वयं सहायता समूह हैं जो बकरी और मुर्गी पालन, छोटी दुकानें, डेयरी उत्पाद, गाय के गोबर से मूर्ति निर्माण आदि जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं।


कृषि

ऐंचवारा में 35 प्रतिशत परिवार अपनी आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं¹⁸ जैसा कि चित्र 6 में दर्शाया गया है, परिवार विभिन्न तरीकों से कृषि में संलग्न हैं।


ऐंचवारा ग्राम पंचायत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 300 हेक्टेयर है और सकल फ़सल क्षेत्र लगभग 616.2 हेक्टेयर¹⁹ है। यहाँ उगायी जाने वाली प्रमुख खरीफ़ फ़सल धान है और रबी की प्रमुख फ़सल गेहूँ है। अन्य प्रमुख फसलों में सरसों, मटर और चना हैं (चित्र 7 और 8 में विस्तार से दर्शाया गया है)।

फ़सल चक्र, खाद, प्राकृतिक कीट प्रबंधन जैसी सतत कृषि पद्धतियों का भी अभ्यास किया जाता है। ग्राम पंचायत में ज्वार अंधार (मिश्रण), तिल और मूंग और उड़द जैसी दालों की जैविक खेती की जाती है।

ट्यूबवेलों और पंपिंग सेटों के उपयोग के साथ-साथ सिंचाई की पद्धति वर्षा आधारित है। ऐंचवारा ग्राम पंचायत में लगभग 120 डीजल पंप हैं तथा इस पंचायत में सिंचाई के लिए ज्यादातर लोग डीजल पंपों पर निर्भर हैं। चूँकि ग्राम पंचायत बुन्देलखण्ड कृषि-जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यहाँ की मिट्टी लैटेराइट है।




चित्र 6: ऐंचवारा में कृषि पर निर्भर परिवारों की संख्या



चित्र 7: ऐंचवारा में प्रति वर्ष फ़सल का प्रकार और संबंधित उपज

18 इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे ज़मींदार बड़े खेतों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी भूमि के मालिक किसान भी अनुबंध खेती करते हैं।

19 शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल फसल क्षेत्र ग्राम पंचायत के साथ कई चरणों की चर्चाओं से प्राप्त जानकारी पर आधारित है



चित्र 8: ऐंचवारा में फ़सल का प्रकार और संबंधित भूमि क्षेत्र

ऐंचवारा ग्राम पंचायत में लगभग 44 प्रतिशत परिवार डेयरी और मुर्गी पालन में संलग्न हैं। कुल पशुधन आबादी 1,448 (168 गाय, 300 भैंस, 860 बकरी, 120 सूअर) है और ग्राम पंचायत में 3,600 पोल्ट्री पक्षी हैं।

प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐंचवारा ग्राम पंचायत में 522 हेक्टेयर वन भूमि है। ग्राम पंचायत में 400 हेक्टेयर से अधिक सामान्य भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 225 हेक्टेयर पर वर्तमान में अतिक्रमण है। ऐंचवारा ग्राम पंचायत में 6 तालाब हैं।

कृषि-वानिकी और सामाजिक वानिकी के रूप में वृक्षारोपण गतिविधियाँ 10 वर्ष पहले (वर्ष 2013 से पहले) लगभग 2.02 हेक्टेयर भूमि पर की गई थीं। कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण में मोनोकल्चर और सागौन, आम, अमरूद, शीशम, महुआ और आंवला जैसी मिश्रित प्रजातियाँ संलग्न हैं जिन्हें एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम और वर्षा सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 में 15 हेक्टेयर भूमि पर ऐंचवारा वन क्षेत्र (शीशम, सागौन, आंवला और ब्लैकबेरी) में सामाजिक वानिकी भी की गई। इस पहल को राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, वर्षा सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम और मनरेगा के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

ऐचवारा में सुविधाएं

बिजली और एलपीजी

- बिजली की पहुंच: 92% घरों तक
- एलपीजी कवरेज: 81% घरों में



जल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए जल का मुख्य स्रोत - भूजल और बाल्मिकी नदी

अपशिष्ट पदार्थ

- घरेलू शौचालय कवरेज: 87%



गतिशीलता और बाज़ार तक पहुंच

- 12 किमी की दूरी पर राज्य राजमार्ग से कनेक्टिविटी
- 15 किमी की दूरी पर रेलवे स्टेशन, कर्वी
- 15 किमी की दूरी पर बस स्टेशन
- 15 किमी की दूरी पर फायर स्टेशन
- 12 किमी की दूरी पर निकटतम कृषि बाज़ार



शिक्षा

- प्राइमरी स्कूल, जूनियर प्राइवेट स्कूल
- जूनियर हाई स्कूल
- संस्थान/कॉलेज (त्यागी इंटर कॉलेज)
- 4 आंगनवाड़ी

स्वास्थ्य


- 1 आशा केंद्र
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
- स्वास्थ्य शिविर/मेला



ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (अर्थात, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस अभ्यास का उद्देश्य ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रूपरेखा विकसित करना था। इस बात को ध्यान देना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य एक कार्बन शून्य ग्राम पंचायत नहीं, बल्कि एक क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, सुझाव में उत्सर्जन में कमी के लाभ होंगे जो शायद ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में जीएचजी पूर्वानुमान सम्मिलित नहीं हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, ग्राम पंचायत ऐंचवारा में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला से लगभग 1,964.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e) उत्सर्जित किया गया है (चित्र 9 देखें)।

ऐंचवारा के कार्बन फुटप्रिंट में कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों का योगदान है। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत²⁰, खाना पकाने के लिए लकड़ी और एलपीजी (रसोई गैस) का दहन, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जैव ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में चावल की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन से उत्सर्जन और पशु अपशिष्ट का खाद प्रबंधन और फसल अवशेष जलाना सम्मिलित है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 9: वर्ष 2022 में ऐंचवारा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा ~59 प्रतिशत है। इस क्षेत्र के अंतर्गत, परिवहन श्रेणी प्रमुख उत्सर्जक है (~425 tCO₂e), इसके बाद बिजली की खपत (~340 tCO₂e), आवासीय खाना पकाने (~275.58 tCO₂e) और डीजल पंप सेट (~126 tCO₂e) हैं। कृषि क्षेत्र का योगदान कुल उत्सर्जन का ~28 प्रतिशत है, जिसमें पशुधन (~419 tCO₂e) और चावल की खेती (~77 tCO₂e) से उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है।



चित्र 10: वर्ष 2022 में ऐंचवारा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

20 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है।

पंचायत की आधारभूत रेखा/बेसलाइन को स्थापित करने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों और किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों तथा समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी के आधार पर पहचाने गए व्यापक मुद्दों की पहचान की गई। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी डेटा स्रोतों से भी की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूर्ण रूप से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे संबंधित विषयों के अनुशंसा अनुभाग/सुझावों में सूचीबद्ध किए गए हैं।

- मौसम की अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के अलावा बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।
- जून/जुलाई में सूखा और जनवरी/मार्च में ओलावृष्टि का बार-बार होना
- हरित आवरण और जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव
- अपर्याप्त जल उपलब्धता
- अस्थाई कृषि और पशुपालन प्रथाएँ
- सीमित स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियाँ
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- पंचायत के अंदर एवं पंचायत के बाहर सीमित आवागमन की व्यवस्था
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूकता का अभाव
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

विषयगत प्रत्येक मुद्दे में कई हस्तक्षेप संलग्न हैं, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसे चरणबद्ध लक्ष्यों और अनुमानित लागतों²¹ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। ये लक्ष्य तीन चरणों में हैं: चरण- I (2024-25 से 2026-2027); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों को प्रभावी अनुश्रवण और कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में वितरित किया जा सकता है। वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य विकसित करने का खाका दस्तावेज़ "क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)" से संदर्भित किया जा सकता है। एसओपी एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या अन्य हितधारकों द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जाता है।

चिह्नित किए गए वित्तपोषण के तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न बंधी और खुली निधि या सीएसआर हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत सुझाव निम्नलिखित भाग में दिए गए हैं:

इस कार्ययोजना में मुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
3. सतत कृषि
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्क्रुतियों का हिस्सा न बनते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों की एक सूची बनाई गई है जो भारत के कुछ हिस्सों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित कार्यान्वित की गई हैं और ग्राम पंचायत में भी दोहराई जा सकती हैं। हालांकि, इन प्रयासों को उत्तर प्रदेश कि किसी योजनाओं या कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस कारण इन प्रयासों के हेतु वित्त की उपलब्धता समुदायों द्वारा अथवा सीएसआर व निजी स्रोतों के माध्यम से किया जाएगा। इस कारण इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है।

21 लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे:

- » ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से जानकारी,
- » अथवा प्रासंगिक योजनाओं एवं नीतियों के अनुसार लागत अनुमान,
- » या आवश्यक इनपुट की प्रति यूनिट अनुमानित लागत
- » अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।



1. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

संदर्भ और मुद्दे²²

1. यद्यपि ऐंचवारा में 522 हेक्टेयर²³ का निर्धारित वन क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र कामहत्वपूर्ण हिस्सा दुर्गम है और भली प्रकार से सुरक्षित नहीं रखा गया है।
2. ग्राम पंचायत में 2.02 हेक्टेयर की भूमि पर कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी हेतु वृक्षारोपण किया गया है, जिसे 10 वर्ष पहले किया गया था। यहाँ सागौन, आम, अमरुद, शीशम, महुआ और आंवला²⁴ जैसी प्रमुख प्रजातियां हैं।
3. इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 में, अतिरिक्त 15 हेक्टेयर की भूमि को सामाजिक वानिकी (शीशम, सागौन, आंवला और जामुन) में शामिल किया गया है।

ऐंचवारा ग्राम पंचायत के पास मौजूदा हरित स्थान को बनाए रखने और नष्ट हुए वृक्षों के आवरण को पुनर्स्थापित करने की क्षमता है। यह न केवल गर्मी को कम करेगा और छाँव प्रदान करेगा, बल्कि लंबे समय तक मिट्टी स्वास्थ्य और जल स्तर में सुधार भी करेगा, इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ावा भी मिलेगा।

22 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और समूह केन्द्रित चर्चाओं के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक संसाधनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

23 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर

24 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर



हरित आवरण में सुधार

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा वन क्षेत्र (पहाड़ी क्षेत्र में) में पेड़ों की बहाली और संरक्षण 2. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पौधे लगाना²⁵: <ul style="list-style-type: none"> » छात्रों के लिए हरित प्रबंधन कार्यक्रम » फलदार वृक्ष लगाकर खाद्य वन का निर्माण » जंगल में, सड़कों/रास्तों के किनारे, जल निकायों के आसपास, आदि। 3. आरोग्य वन की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के माध्यम से आरोग्य वन की शुरुआत करना 4. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र: <ul style="list-style-type: none"> » वन एवं हरित आवरण का महत्व » पेड़ कैसे लगाएं और उनकी देखभाल कैसे करें » वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजातियाँ और इसकी संवेदनशीलता 	<ol style="list-style-type: none"> 1. पौधों का अतिरिक्त रोपण: <ul style="list-style-type: none"> » बाल वन की रचना » जंगल में, सड़कों/रास्तों के किनारे, जल निकायों के आसपास, आदि। 2. आरोग्य वन की स्थापना एवं प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों हेतु उत्पादन इकाइयों का विकास 3. किसानों को कृषिवानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन; किसानों के लिए जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम 4. जीपी वन क्षेत्र, वन संसाधन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण का रखरखाव 5. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, सीमैप-लखनऊ, एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों आदि के बीच साझेदारी निर्माण (“आजीविका एवं हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना” अनुभाग देखें) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत वन क्षेत्र, बाल वन, खाद्य वन एवं अन्य वृक्षारोपण का रखरखाव 2. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन 3. अतिरिक्त वृक्षारोपण गतिविधियाँ (जंगल में, सड़कों/रास्तों के किनारे, जल निकायों के आसपास) 4. कृषि वानिकी को अपनाना 5. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 6. सभी हितधारकों को सीमैप-लखनऊ द्वारा कौशल विकास और प्रशिक्षण 7. विद्यार्थियों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र

25 संलग्नक VI में वृक्षों के नामों की सूची है

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

(वृक्षारोपण/हरित आवरण के लिए, लगाए जाने वाले पेड़ों में संलग्न हैं - मोनोकल्चर और मिश्रित प्रजातियाँ जैसे आम, अमरूद, शीशम, महुआ, सागौन, आंवला और ब्लैकबेरी)

6. सीमैप-लखनऊ द्वारा सभी हितधारकों को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण।
7. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र।

(बाल वैन: नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उत्सव के रूप में स्वदेशी सदाबहार पेड़ों के पौधे उपहार में दिए जा सकते हैं और उन्हें अपने बच्चों के जीवन में पौधों का पालन-पोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है)

लक्ष्य

1. ग्राम पंचायत के वन क्षेत्र (पहाड़ी इलाके यानी 300 हेक्टेयर) में सभी मौजूदा पेड़ों की बहाली व संरक्षण
2. 15-20 वर्षों में 3,400 tCO₂ से 5,400 tCO₂ एकत्र करने वाले 1500 पौधे लगाना (कम से कम 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित करना)
3. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए मौजूदा खाली भूमि में से लगभग 2 हेक्टेयर²⁶ का आवंटन

1. 15-20 वर्षों में 3,400 tCO₂ से 7,200 tCO₂ एकत्र करने वाले अतिरिक्त 1500 से 2000 पौधे लगाना (कम से कम 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित करना)
2. 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आरोग्य वन की स्थापना
3. 40 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाना²⁷
4. ग्राम पंचायत में खाद्य वन और सभी वृक्षारोपण का रखरखाव
5. साझेदारी और क्षमता निर्माण

1. 15-20 वर्षों में 4,600 tCO₂ से 8,900 tCO₂ एकत्र करने वाले अतिरिक्त 2000 से 2500 पौधे लगाना (कम से कम 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित करना)
2. 80 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाना
3. आरोग्य वन, बाल वन, खाद्य वन और ग्राम पंचायत में सभी वृक्षारोपण का रखरखाव
4. प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों का उत्पादन
5. साझेदारी और क्षमता निर्माण को बढ़ाना

अनुमानित लागत

वृक्षारोपण गतिविधियाँ²⁸: ₹19 लाख

वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹26 लाख
कृषि वानिकी: ₹76 लाख
कुल लागत: ₹1.02 करोड़

वृक्षारोपण गतिविधियाँ : ₹32 लाख
कृषि वानिकी: ₹1.52 करोड़
कुल: ₹1.84 करोड़

26 ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार

27 कृषि वानिकी उपयुक्त भूमि पर अपनाई गई है। यहाँ हमने ऐंचवारा के 40 हेक्टेयर क्षेत्र को ध्यान में रखा है, जहां वर्तमान में सब्जियों और फलों की खेती की जा रही है।

28 जल क्षेत्र की सिफारिशों में उल्लिखित वृक्षारोपण को भी उपर्युक्त कार्य बिंदुओं/अनुशंसाओं के माध्यम से संलग्न किया जाएगा। इसलिए, यहां अनुमानित लागत सभी वृक्षारोपण गतिविधियों को कवर करेगी और सभी अनुशंसाओं की लागत को जोड़ते समय दोहरी गणना से बचा जाना चाहिए।



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन समुदाय और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करें 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का निरंतर एवं नियमित अद्यतनीकरण समुदाय और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का निरंतर एवं नियमित अद्यतनीकरण समुदाय और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतनीकरण जागरूकता एवं क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतनीकरण जागरूकता एवं क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> लोगों के जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतनीकरण जागरूकता एवं क्षमता निर्माण
अनुमानित लागत	जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन, पंजीकरण और प्रशिक्षण ²⁹ = ₹25,000		

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और यूपी राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को संरक्षित और संचालित किया जा सकता है
- यूपी राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य सीएएमपीए निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निर्देशित³⁰ किया जा सकता है
 - ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी और जल संरक्षण गतिविधियाँ
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी पर उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है
 - कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ
 - वृक्षारोपण के लिए सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है

29 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

30 कैम्पा (सीएएमपीए) निधि का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ाकर और वनों की गुणवत्ता में सुधार करके वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। (मार्च 2023)। पीआईबी


- सेंटरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स, लखनऊ का कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- बीएमसी के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वां वित्त आयोग और ग्राम पंचायत के स्वयं के आय का स्रोत (ओएसआर)
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, ट्री गार्ड के निर्माण के लिए सीएसआर फंड
- सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ



2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

संदर्भ और मुद्दे

1. ऐंचवारा ग्राम पंचायत प्राथमिक रूप से जलस्रोत के रूप में भूमिगत जल पर निर्भर है, जो ग्राम पंचायत में कृषि और घरेलू जरूरतों के लिए मुख्य जल का स्रोत है।
2. 2018 से 2022 के बीच जून-जुलाई महीनों में³¹ चार बार लगातार सूखे की घटनाएँ घटित हुई हैं। इसलिए, ऐंचवारा में जलाशय प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
3. गर्मियों में जलस्तर में निरंतर गिरावट (25 कुएँ, 70 हैंड पंप्स और 14 निजी ट्यूब वेलों के जलस्तर में 2-3 मीटर की गिरावट)³² के कारण ऐंचवारा को पेयजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
4. ऐंचवारा में 6 तालाब हैं, जिनमें से कई हर वर्ष सूख जाते हैं।
5. पंचायत में लगभग 50 प्रतिशत परिवारों³³ के पास पाइप पेयजल कनेक्शन हैं।

भूजल पर निर्भरता, सूखे की लगातार घटित घटनाएँ, तालाबों का सूखना और भूजल स्तर में गिरावट, जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। ऐंचवारा में नाजुकता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित हैं।

वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
दुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	सभी सरकारी/पीआरआई भवनों (पंचायत भवन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, पीएचसी, आदि) में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं का निर्माण।	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवासीय भवनों (पक्के मकान) में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं का निर्माण 2. सभी नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं का अनिवार्य निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवासीय भवनों (पक्के मकान) में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं का निर्माण 2. सभी नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं का अनिवार्य निर्माण

31 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर

32 ऐंचवारा ग्राम पंचायत एचआरवीसीए रिपोर्ट के आधार पर

33 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर

लक्ष्य

सभी (100%) सरकारी/सार्वजनिक भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचना

1. 100 (25%) पक्के घरों में आरडब्ल्यूएच संरचना
2. चरण II के दौरान निर्मित सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित किया जाये

1. 300 (75%) पक्के घरों में आरडब्ल्यूएच संरचना
2. चरण III के दौरान निर्मित सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित किया जाये

विद्यमान पक्के मकान लगभग = 400

अनुमानित लागत

आरडब्ल्यूएच (10 m³ क्षमता के रिचार्ज पिट वाले 7 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं) = ₹ 2,45,000

आरडब्ल्यूएच (10 m³ क्षमता के रिचार्ज पिट के साथ 100 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं) = ₹ 35,00,000

आरडब्ल्यूएच (10 m³ क्षमता के रिचार्ज पिट के साथ 300 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं) = ₹ 1,05,00,000



जल स्रोतों का कायाकल्प और धारणीय तालाबों का निर्माण

चरण

I
2024-25 से 2026-27

1. मौजूदा 6 तालाबों³⁴ का जीर्णोद्धार और कायाकल्प:
 - a. सफाई एवं गाद निकालना
 - b. जलग्रहण क्षेत्र की गहराई बढ़ाना
 - c. जलग्रहण क्षेत्र को चौड़ा करने के लिए तटबंध का निर्माण
 - d. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण
2. निचले इलाकों में प्रतिधारण तालाबों (मानव निर्मित तालाब) का निर्माण
3. जल निकायों की बहाली और प्रतिधारण तालाब के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास सत्र
4. ग्राम पंचायत की जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और निर्माण कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी)³⁵ का क्षमता निर्माण और समुदाय के विभिन्न महत्वपूर्ण समूहों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जल उपयोग की कुशलता और जल संरक्षण में सुधार करने के लिए

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

II
2027-28 से 2029-30

1. सभी जल निकायों (प्राकृतिक तालाब और प्रतिधारण तालाब) का रखरखाव और प्रबंधन
2. जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण और मौजूदा वृक्षारोपण का रखरखाव
3. निचले इलाकों में अतिरिक्त जल संरक्षण तालाबों का निर्माण
4. रखरखाव और निर्माण कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना
5. समुदाय एवं अन्य सभी हितधारकों का नियमित क्षमता निर्माण

III
2030-31 से 2034-35

1. सभी जल निकायों (प्राकृतिक तालाब और प्रतिधारण तालाब) का रखरखाव और प्रबंधन
2. जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण और मौजूदा वृक्षारोपण का रखरखाव
3. रखरखाव और निर्माण कार्यों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना
4. समुदाय और अन्य सभी हितधारकों का नियमित क्षमता निर्माण

34 दूसरे दौर की केंद्रीय समूह चर्चा के दौरान सूचित किए गए 6 तालाब: गर्गन, पोखरी, घाटकपर बाबा, लौघाटा, बरौरा बाबा, स्वतंत्रता सेनानी, अयपंदई

35 VWSC हैण्डबुक, <https://phed.cg.gov.in/sites/default/files/gphondbook-0.pdf>

लक्ष्य

1. गाँव के 6 तालाबों की सफाई एवं गाद मुक्ति
2. सभी 6 तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि
3. ट्री गार्ड के साथ 1000 पेड़ों का रोपण (जल निकायों के आसपास) (हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाने अनुभाग में प्रस्तावित गतिविधियों के हिस्से के रूप में)
4. चिन्हित निचले क्षेत्र में 1 प्रतिधारण तालाब का निर्माण

1. 6 तालाबों और 1 प्रतिधारण तालाब का प्रभावी रखरखाव
2. ट्री गार्ड के साथ अतिरिक्त 1000 पेड़ों का रोपण (जल निकायों के आसपास) (हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाने अनुभाग में प्रस्तावित गतिविधियों के हिस्से के रूप में)
3. चिन्हित निचले इलाकों में 2 और प्रतिधारण तालाबों का निर्माण
4. रखरखाव और जीर्णोद्धार कार्यों में समुदाय की भागीदारी

1. 6 तालाबों और 3 प्रतिधारण तालाबों का प्रभावी रखरखाव
2. रखरखाव और जीर्णोद्धार कार्यों में समुदाय की भागीदारी

अनुमानित लागत

1. 6 तालाबों का जीर्णोद्धार = ₹ 45 लाख
 2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m³ क्षमता) = ₹7 लाख³⁶
 3. वृक्षारोपण = ₹20 लाख (हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाने वाले अनुभाग में पहले से ही हिसाब लगाया गया है)
- कुल = ₹52 लाख

1. 6 तालाबों का जीर्णोद्धार = ₹ 23 लाख
 2. 1 प्रतिधारण तालाब का रखरखाव = ₹50,000
 3. 2 प्रतिधारण तालाबों का निर्माण (300 m³ क्षमता) = ₹14 लाख
 4. वृक्षारोपण = ₹20 लाख + वृक्षारोपण का रखरखाव = ₹2.5 लाख (हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाने वाले अनुभाग में पहले से ही हिसाब लगाया गया है)
- कुल = ₹37.5 लाख

1. 6 तालाबों का रखरखाव = ₹23 लाख
 2. 3 प्रतिधारण तालाबों का रखरखाव = ₹1.5 लाख
 3. वृक्षारोपण का रखरखाव = ₹5 लाख (हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाने वाले अनुभाग में पहले से ही हिसाब लगाया गया है)
- कुल = ₹24.5 लाख



कुओं का जीर्णोद्धार और भूजल पुनर्भरण को बहाल करना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सभी कुओं की सफाई एवं जीर्णोद्धार पेयजल की उपलब्धता हेतु हैण्डपम्पों का रिबोर कराना भूजल प्रबंधन हेतु पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण 	सभी मौजूदा कुओं, हैंडपंपों और पुनर्भरण गड्ढों का नियमित रखरखाव	सभी मौजूदा कुओं, हैंडपंपों और पुनर्भरण गड्ढों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 4 कुओं की सफाई, सुरक्षा एवं मरम्मत कार्य: एंचवारा खास से लौघाटा एंचवारा होते हुए³⁷ शेष 21 कुओं की सफाई एवं जीर्णोद्धार महत्वपूर्ण स्थानों पर 10 हैंडपंपों को रिबोर करें रणनीतिक स्थानों पर 30 पुनर्भरण गड्ढे 	<ol style="list-style-type: none"> सभी 25 कुओं का रखरखाव 70 हैंडपंपों (कुल ग्राम पंचायत में) और 30 रिचार्ज पिटों का रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> सभी 25 कुओं का रखरखाव 70 हैंडपंपों (कुल ग्राम पंचायत में) और 30 रिचार्ज पिटों का रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> कुओं की सफाई और जीर्णोद्धार = ₹12,50,000 10 हैण्डपम्पों का रिबोर = ₹6 लाख 30 रिचार्ज पिट - ₹3 लाख कुल = ₹21,50,000	25 कुओं का रखरखाव = ₹15 लाख	25 कुओं का रखरखाव = ₹15 लाख

37 एचआरवीसीए रिपोर्ट - ऐंचवारा ग्राम पंचायत



जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> अपशिष्ट जल/तूफान जल निकासी के लिए नालों का निर्माण और सड़कों के माध्यम से जल प्रवाह को समाप्त करना जल पुनर्भरण एवं कृषि सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा नालों एवं नहरों का रखरखाव अतिरिक्त पुल-पुलिया एवं नहरों का निर्माण (यदि आवश्यक हो) 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा पुलियों एवं नहरों का रखरखाव अतिरिक्त पुल-पुलिया एवं नहरों का निर्माण (यदि आवश्यक हो)
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> विभिन्न स्थानों पर पुल-पुलियों का निर्माण भिन्न-भिन्न स्थानों पर नहरों का निर्माण 	मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> पुलिया निर्माण = ₹1 करोड़ नहरों का निर्माण = 20 लाख रूपये कुल = ₹1,20,00,000	लागत: आवश्यकतानुसार	लागत: आवश्यकतानुसार

मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के माध्यम से उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और बहाली गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है

अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट/सीएसआर को जल निकायों और कुओं के रखरखाव और रख-रखाव में योगदान देने के लिए 'जल निकाय अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



3. सतत कृषि

संदर्भ एवं मुद्दे

1. ऐंचवारा में कुल कृषि क्षेत्रफल लगभग 300 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 616.2 हेक्टेयर है।
2. ग्राम पंचायत में लगभग 35 प्रतिशत परिवार आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं और 29 प्रतिशत परिवारों का आय का स्रोत पशुपालन है।
3. समुदाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मिट्टी की खराब गुणवत्ता (पथरीली मट्टी) के कारण भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान में परती भूमि है।
4. खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं (~52 हेक्टेयर), सरसों (~48 हेक्टेयर), मटर (~40 हेक्टेयर), चना (~34 हेक्टेयर), धान (~22 हेक्टेयर), बाजरा (~16 हेक्टेयर), तिल (~12 हेक्टेयर), उरद (~8 हेक्टेयर) और मूंग (~6 हेक्टेयर) हैं।
5. ग्राम पंचायत ने 2018 से 2022 के बीच वार्षिक 4 सूखों का अनुभव किया है, आमतौर पर जून-जुलाई के दौरान कृषि उपज³⁸ प्रभावित हुई है।
6. बारिश में विलंब, अधिक तीव्र गर्मियों और सूखों के कारण, ज्वार, मूंग और बाजरे की बुआई का समय जून के दूसरे/तीसरे सप्ताह से जुलाई में स्थानांतरित हो गया है। वर्षा में देरी से गेहूं बोने का समय अक्टूबर से नवंबर-दिसंबर के अंत तक स्थानांतरित हो गया है। माहू रोग के खतरे के कारण सरसों की बुआई का समय अक्टूबर से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक स्थानांतरित हो गया है³⁹।
7. वर्ष 2018 से 2022 तक अनियमित वर्षा, खेतों में जानवरों के घुसपैठ के साथ-साथ बीमारियों के कारण फसल का नुकसान हुआ है। लगभग 685 क्विंटल उपज या लगभग 41.25 लाख रुपये का नुकसान हुआ (संबंधित वर्षों के प्रचलित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) द्वारा पुष्टि)।
8. ऐंचवारा में किसान प्रति वर्ष लगभग 31.5 टन यूरिया, डीएपी और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष लगभग 45.65 tCO₂e⁴⁰ का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं।
9. ऐंचवारा में ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, तिल और धान जैसी फसलों के लिए ~70 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जाती है।
10. कृषि में सिंचाई हेतु जल की मांग में वृद्धि (पिछले 25 वर्षों में दुगुनी हो गई है⁴¹) के कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर बल देना आवश्यक है।

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

38 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी दी गयी

39 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से मिली जानकारी के आधार पर

40 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी दी गयी

41 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी दी गयी



कृषि हेतु सूखा प्रबंधन

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
1. ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाना	1. सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार	1. सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार	1. सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार
2. कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बन्धी	2. कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों के साथ अतिरिक्त मेड़बन्धी का निर्माण।	2. कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों के साथ अतिरिक्त मेड़बन्धी का निर्माण।	2. बांधों का रख-रखाव एवं वृक्षारोपण
3. खेत तालाबों का निर्माण	3. अधिक खेत तालाबों का निर्माण	3. अधिक खेत तालाबों का निर्माण	3. अतिरिक्त वृक्षारोपण (आवश्यकतानुसार)
4. चावल और गेहूं की सूखा प्रतिरोधी किस्मों को अपनाना	4. मौजूदा खेत तालाबों और पेड़ों वाले मेड़बन्धी का नियमित रखरखाव	4. मौजूदा खेत तालाबों और पेड़ों वाले मेड़बन्धी का नियमित रखरखाव	4. मौजूदा खेत तालाबों का रखरखाव
5. सीधे बीज वाले चावल को सुखाने के लिए स्थानांतरित करें	5. चावल और गेहूं की सूखा प्रतिरोधी किस्मों को अपनाना	5. चावल और गेहूं की सूखा प्रतिरोधी किस्मों को अपनाना	5. चावल और गेहूं की सूखा प्रतिरोधी किस्मों को अपनाना
	6. बाजरा और फलियाँ जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलों को अपनाना	6. बाजरा और फलियाँ जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलों को अपनाना	6. बाजरा और फलियाँ जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलें अपनाने को बढ़ावा देना

लक्ष्य

1. 60 हेक्टेयर (सब्जी और फलों की खेती के अंतर्गत 60% भूमि) कृषि भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई	1. अतिरिक्त 40 हेक्टेयर (सब्जी और फलों की खेती के अंतर्गत संचित 100% भूमि) कृषि भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई	1. अतिरिक्त कृषि भूमि (आवश्यकतानुसार) पर सूक्ष्म सिंचाई
2. लगभग 100 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पेड़ों के साथ बांधों का निर्माण	2. शेष 200 हेक्टेयर (67%) कृषि भूमि के चारों ओर पेड़ों के साथ बांधों का निर्माण	2. मौजूदा खेत तालाबों और वृक्षों वाले बांधों का रखरखाव
3. प्रत्येक 300 m ³ क्षमता के 10 खेत तालाबों का निर्माण	3. 300 m ³ क्षमता के 15 और खेत तालाबों का निर्माण	3. अतिरिक्त वृक्षारोपण (आवश्यकतानुसार)
	4. मौजूदा खेत तालाबों और पेड़ों वाले बांधों का रखरखाव	4. चावल एवं गेहूं की सूखा सहिष्णु किस्म का शत-प्रतिशत उपयोग

अनुमानित लागत

1. सूक्ष्म सिंचाई = ₹60 लाख	1. सूक्ष्म सिंचाई = ₹40 लाख	आवश्यकता के अनुसार
2. खेत तालाब = ₹15 से ₹20 लाख	2. फार्म तालाब = ₹22,50,000 से ₹30 लाख	
3. पेड़ों के साथ मेड़ = ₹1.5 लाख	3. पेड़ों के साथ मेड़ = ₹3 लाख	
कुल लागत = ₹81.5 लाख	कुल लागत = ₹73 लाख	



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राकृतिक खाद, जैव कीटनाशक एवं जैव खरपतवारनाशी को अपनाना 2. प्राकृतिक उत्पाद प्रमाणन प्रक्रिया की स्थापना एवं अपनाना 3. प्राकृतिक कृषि उपज के लिए बाजार संपर्क की खोज और स्थापना 4. मिश्रित फ़सल, फ़सल चक्र, मल्लिंंग और शून्य जुताई जैसी प्रथाओं को अपनाना 5. किसानों, एफपीओ तथा अन्य संबंधित हितधारक समूहों के लिए प्रशिक्षण सत्र और प्रदर्शन: <ol style="list-style-type: none"> a. प्राकृतिक खेती और सूखा सहिष्णु फसलों का महत्व b. लचीले फ़सल पैटर्न को अपनाने की तकनीकें c. सतत सिंचाई विधियाँ d. प्रमाणन प्रणाली e. बाजार पहुंच और लाभप्रदता 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राकृतिक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों को अपनाने में वृद्धि 2. प्राकृतिक उत्पाद प्रमाणन प्रक्रिया को अपनाना 3. प्राकृतिक कृषि उपज के लिए बाजार संपर्क और उपभोक्ता बाजार का विस्तार 4. मिश्रित फ़सल, फ़सल चक्र, पलवार और शून्य जुताई जैसी प्रथाओं को अपनाना 5. किसानों, एफपीओ और अन्य संबंधित हितधारक समूहों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण सत्र और प्रदर्शन 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राकृतिक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों को अपनाने में वृद्धि 2. प्राकृतिक उत्पाद प्रमाणन प्रक्रिया को अपनाने के लिए अधिदेश बनाना 3. प्राकृतिक कृषि उपज के लिए बाजार संपर्क और उपभोक्ता बाजार का विस्तार 4. मिश्रित फ़सल, फ़सल चक्र, मल्लिंंग और जीरो टिलेज जैसी प्रथाओं को अपनाना 5. किसानों, एफपीओ और अन्य प्रासंगिक हितधारक समूहों के लिए आवधिक प्रशिक्षण सत्र और प्रदर्शन

लक्ष्य

60 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर प्राकृतिक खेती	100 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती	140 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती
---	---	---

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन = ₹20,000 से ₹30,000 प्रति सत्र 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन = ₹1,48,20,000 कुल लागत = ₹1,48,50,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन = ₹20,000 से ₹30,000 प्रति सत्र 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन = ₹2,47,30,000 कुल लागत = ₹2,47,60,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन = ₹20,000 से ₹30,000 प्रति सत्र 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन = ₹3,45,80,000 कुल लागत = ₹3,46,10,000
---	---	---



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण

मुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ पैरा-पशु चिकित्सक/ पैरा वेट के रूप में प्रशिक्षित करना पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर कार्य करने हेतु अनुभाग "अतिरिक्त सुझावों" से संदर्भ लें। 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट के और अधिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट के और अधिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> पशुपालन में लगे परिवारों के लिए स्थायी पालन प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना 2 पैरा-वेट्स⁴² का प्रशिक्षण 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और स्थायी पशु पालन गतिविधियों पर अतिरिक्त कार्यशालाओं का आयोजन करना पशुधन के स्वास्थ्य लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और स्थायी पशु पालन गतिविधियों पर अतिरिक्त कार्यशालाओं का आयोजन करना पशुधन के स्वास्थ्य लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाना
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-वेट प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

42 पंचायत की आवश्यकता के आधार पर समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना

मौजूदा योजनाएं एवं कार्यक्रम

- सूखा प्रबंधन और बचाव पद्धतियों का समर्थन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), यूपी बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों और नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे कि पारंपरिक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि से जुड़ी रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- किसान क्रेडिट कार्ड
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियोजन योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा वेट प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- सेट-अप और संचालन ("स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" भाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
 - » फ़सल के बाद के नुकसान को कम करने में मदद के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक इनपुट, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती में अंतिम परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करें। सूखारोधी कृषि और स्थायी पशुधन प्रबंधन।
- इसके अतिरिक्त, ऐंचवारा में सतत कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- कृषि विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- यूपीनेडा (युपीएनईडीए)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्रकूट



4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ एवं मुद्दे

1. पंचायत में सभी परिवारों, सार्वजनिक / सरकारी इमारतों (स्कूल और कॉलेज, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, आदि) और बाजारों / दुकानों से प्रतिदिन लगभग 135 किलोग्राम कचरा⁴³ उत्पन्न होता है। इसमें से 53 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा है और 82 किलोग्राम गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरा होता है।
2. ऐंचवारा में कचरा संग्रहण, पृथक्करण, और प्रभावी अपशिष्ट उपचार प्रणाली की कमी है जिसके कारण ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर जल निकायों, खाली भूखंडों और सड़कों पर कचरा फेंका जाता है⁴⁴। इसके परिणामस्वरूप जल निकाय प्रदूषित हो जाते हैं, मानसून के दौरान नालियों में रुकावट के कारण जलभराव हो जाता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरों का खतरा बढ़ जाता है।
3. कृषि और पशु अपशिष्ट भी अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाते हैं। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 1,448 है (गाय, भैंस और बकरियों सहित) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 2 टन प्रति दिन⁴⁵ है जिसे ऐंचवारा में खाद, वर्मिकम्पोस्ट, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसी गतिविधियों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है।

इस विषय में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

43 क्षेत्र सर्वेक्षण और ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के अनुसार

44 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर

45 अनुमान के लिए माना गया है कि गायें प्रति दिन 10 किलोग्राम गोबर करती हैं, भैंसें प्रति दिन 15 किलोग्राम गोबर करती हैं और बकरियां प्रति दिन 150 ग्राम गोबर करती हैं



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना

चरण

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> 1. स्रोत पर ही (घरेलू वाणिज्यिक, आदि) कचरे को गीले और सूखे कचरे में अलग करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना 2. निम्नलिखित के लिए विद्युत कूड़ा गाड़ियों का प्रावधान: <ol style="list-style-type: none"> a. अलग किए गए कचरे का घर-घर संग्रह (घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं और वाणिज्यिक सेट अप से बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा) b. प्लास्टिक कचरे का निकटतम प्लास्टिक रीसाइक्लिंग सुविधा तक परिवहन 3. मौजूदा डंप यार्ड को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड में परिवर्तित करना: <ol style="list-style-type: none"> a. पृथक्करण एवं भंडारण स्थान (आगे पृथक्करण के लिए) b. कम्पोस्ट एवं वर्मी-कम्पोस्ट गड्ढे (विवरण अगले भाग में) 4. चिन्हित स्थानों (बाजार, स्कूल, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कचरा संग्रहण डिब्बे की स्थापना। 5. पास की अन्य ग्राम पंचायतों के साथ साझेदारी स्थापित करना। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जनसंख्या और घरेलू वृद्धि के अनुसार अपशिष्ट संग्रहण के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन 2. ठोस कचरा प्रबंधन यार्ड का रखरखाव 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड के अंदर वृक्षारोपण के साथ एक खुले पार्क का निर्माण (कचरे से खाद का उपयोग करके) 4. जीपी-स्तरीय रीसाइक्लिंग और प्लास्टिक श्रेडर सुविधा स्थापित करना 5. मौजूदा कूड़ादानों और इलेक्ट्रिक कूड़ा गाड़ियों का रखरखाव 6. नए चिन्हित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना 7. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. इनका रखरखाव: <ol style="list-style-type: none"> a. इलेक्ट्रिक कचरा वैन b. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड c. जीपी-स्तरीय रीसाइक्लिंग और प्लास्टिक श्रेडर सुविधा d. कूड़ेदान लगाए गए 2. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

1. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत लगभग 900 घरों (100%) का कवरेज
2. प्रति दिन उत्पन्न 135.15 किलोग्राम कचरा⁴⁶ एकत्र करने के लिए 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन/ई-ऑटोरिक्शा कचरा लोडर (क्षमता 310 किलोग्राम) का प्रावधान (प्रति दिन 53.15 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल कचरा और 82 किलोग्राम सूखा/सूखा और प्लास्टिक कचरा)
3. 14 कूड़ादानों की संस्थापना
4. कचरे के संग्रहण/परिवहन के लिए 5-10 कचरा बीनने वालों के साथ साझेदारी बनाना
5. पंचायत और स्थानीय व्यवसायों, और एमएसएमई, एसएचजी, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों और स्थानीय स्क्रेप डीलरों के बीच कचरे के संग्रहण/परिवहन और कचरा प्रबंधन पार्क के संचालन के लिए साझेदारी बनाना।

1. 1 जीपी-स्तरीय रीसाइक्लिंग और प्लास्टिक श्रेडर इकाई
2. अतिरिक्त 10 कूड़ादानों की स्थापना
3. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव
4. साझेदारियां बढ़ाना

1. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचों का रखरखाव
2. साझेदारियां बढ़ाना

अनुमानित लागत

1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड = ₹35,00,000⁴⁷
 2. इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से ₹1,00,000⁴⁸
 3. 14 कूड़ेदान/कंटेनर = ₹2,00,000
- कुल लागत: ₹38 लाख

1. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट = ₹50,000⁴⁹
 2. 10 कूड़ेदान/कंटेनर = ₹1,45,000
- कुल लागत: ₹1.95 लाख

46 वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन परिदृश्य: (प्रति घर प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पादन = 75 ग्राम सूखा कचरा, 13 ग्राम प्लास्टिक कचरा, 44 ग्राम गीला कचरा) (निम्नलिखित से प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पादन: a. प्राथमिक, जूनियर और जूनियर हाई स्कूल = 250 ग्राम सूखा/सूखा और प्लास्टिक कचरा; 2.5 किलो गीला/जैविक कचरा; b. संस्थान/कॉलेज (त्यागी इंटर कॉलेज) = 350 ग्राम सूखा/सूखा एवं प्लास्टिक कचरा; 3.5 किलो गीला/जैविक कचरा; c. पंचायत भवन = 25 ग्राम सूखा/सूखा एवं प्लास्टिक कचरा; 50 ग्राम गीला/जैविक कचरा; d. आंगनवाड़ी = 20 ग्राम सूखा/सूखा और प्लास्टिक कचरा; 500 ग्राम गीला/जैविक कचरा; e. दुकानें/बाज़ार = 1.5 किलो सूखा/सूखा और प्लास्टिक कचरा; 5 किलो गीला/जैविक कचरा; f. अन्य सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक स्थान = 500 ग्राम सूखा/सूखा और प्लास्टिक कचरा; 2 किलो गीला/जैविक कचरा; g. मकान = 79.2 किग्रा सूखा/सूखा और प्लास्टिक कचरा; 39.6 किग्रा गीला/जैविक अपशिष्ट)

47 एचआरवीसीए की रिपोर्ट – ऐछवारा

48 <https://www.indiamart.com/proddetail/electric-garbage-van-25434344497.html>

49 <https://www.indiamart.com/proddetail/plastic-shredder-15602791097.html>



जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना उपयोगिता सेवाओं जैसे जल शुल्क, अपशिष्ट संग्रहण शुल्क इत्यादि पर रियायतें या बायोगैस की खरीद पर सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके उपरोक्त सामुदायिक पहल को बढ़ावा देना पंचायत और प्रासंगिक हित-धारकों के बीच साझेदारी निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा खाद गड्डों का नियमित रखरखाव बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के उपचार के लिए क्षमता बढ़ाना/नए खाद गड्डे स्थापित करना (बढ़ती जनसंख्या और घरेलू विकास के आधार पर) ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक भागीदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के उपचार के लिए क्षमता बढ़ाना/नए खाद गड्डे स्थापित करना (बढ़ती आबादी और घरेलू विकास के आधार पर) ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक भागीदारी बढ़ाना
	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्टिंग एवं वर्मीकम्पोस्टिंग गड्डों की स्थापना: <ol style="list-style-type: none"> प्रति दिन लगभग 53 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट (जैविक) की खाद से उत्पन्न खाद/खाद है: लगभग 27 किलोग्राम प्रति दिन; प्रति माह 810 किलोग्राम प्रति वर्ष 5,900 टन कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (खाद की मात्रा बढ़ाने के लिए)⁵⁰ पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: <ol style="list-style-type: none"> खाद का उत्पादन एवं बिक्री कृषि अपशिष्ट की बिक्री ("आजीविका बढ़ाना और हरित उद्यमिता बढ़ाना" अनुभाग में विस्तार से बताया गया है) 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के उपचार के लिए क्षमता बढ़ाना/नए खाद गड्डे स्थापित करना। खाद गड्डों का रखरखाव साझेदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, व्यवसायिक और कृषि से सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के उपचार के लिए क्षमता बढ़ाना/नए खाद गड्डे स्थापित करना। खाद गड्डों का रखरखाव साझेदारी बढ़ाना

50 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=ln%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20compost>

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड =
₹35,00,000

लागत: आवश्यकता के अनुसार

लागत: आवश्यकता के अनुसार



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के उपयोग पर मौजूदा प्रतिबंध को लागू करना जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम: <ol style="list-style-type: none"> ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्यों प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ओरिएंटेशन सत्र और विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देना जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए रेस (RACE) अभियान और लाइफ (LiFE) मिशन का लाभ उठाना प्लास्टिक-वैकल्पिक सामग्री जैसे बैग, गृह सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर इत्यादि से उत्पादों के निर्माण के लिए पंचायत, महिलाओं और एसएचजी के बीच साझेदारी मॉडल (आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले अनुभाग में विस्तार से बताया गया है) 	<ol style="list-style-type: none"> जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

1. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध
2. सामान बनाने के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी

1. सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
2. पंचायत और आसपास के गांवों से बढ़ी सहभागिता:
 - a. अतिरिक्त 200 महिलाएं
 - b. अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

1. सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
2. पंचायत और आसपास के गांवों से बढ़ी सहभागिता:
 - a. अतिरिक्त 300 महिलाएँ
 - b. अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह, एमएसएमई एवं व्यक्तिगत उद्यमी

मौजूदा योजनाएँ एवं कार्यक्रम


- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के माध्यम से धन का लाभ उठाना
- इसके अतिरिक्त, उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियों के लिए धन प्राप्त करने के लिए मनरेगा (समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं के निर्माण के लिए) का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- सीएसआर फंडिंग और पंचायत-निजी-साझेदारी मॉडल (पीपीपी) पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, उत्पाद का प्रचार-प्रसार/मार्केटिंग, अपशिष्ट परिवहन ई-वाहन इत्यादि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों का उत्पादन, खाद बनाने की प्रक्रियाओं से जुड़े सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना को विकसित करने के लिए बंधा हुआ और संयुक्त अनुदान सहित जीपी के स्वयं के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

संदर्भ एवं मुद्दे

1. ग्राम पंचायत ऐंचवारा ने 2022-23 में लगभग 4,14,000 यूनिट बिजली की खपत की। ग्राम पंचायत के 92% घरों में बिजली कनेक्शन है। बिजली की आपूर्ति, जैसा कि समुदाय के सदस्यों से पता चला है, 24*7 नहीं है। ग्राम पंचायत में प्रतिदिन औसतन ~6-8 घंटे बिजली की कटौती होती है⁵¹।
2. बिजली कटौती के कारण, सिंचाई के लिए ग्राम पंचायत में 120 डीजल पंप⁵² का उपयोग किया जाता है और वे सालाना लगभग 46.8 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
3. कई घरों और सार्वजनिक उपयोग में सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) बल्ब और कम दक्षता वाले अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने 150 सौर स्ट्रीट लाइट⁵³ की आवश्यकता व्यक्त की गई है।
4. ग्राम पंचायत में लगभग 260 घरों⁵⁴ में खाना पकाने के लिए गोबर और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसलिए, स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी अपितु घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी होंगे।
5. तापमान में वृद्धि के कारण घरों में तापमान से राहत का स्तर कम हो रहा है और स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता बढ़ गई है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में आरम्भ किए गए और साथ ही चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, अन्य संयुक्त रूप से तथा, ऐंचवारा में क्रियान्वन के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

51 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा जानकारी दी गयी है

52 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान जानकारी दी गयी है

53 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

54 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है



सोलर रूफटॉप लगाना

चरण
मुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<p>ऐंचवारा में पीआरआई/सरकारी भवनों पर छत पर सोलर रूफटॉप की स्थापना:</p> <ol style="list-style-type: none"> पंचायत भवन प्राइमरी स्कूल, जूनियर प्राइवेट स्कूल और जूनियर हाई स्कूल आंगनवाड़ी सीएससी केंद्र 	<ol style="list-style-type: none"> पक्के मकानों पर छत पर सोलर रूफटॉप की स्थापना सभी नई इमारतों पर छत पर सोलर रूफटॉप की स्थापना (चरण II के दौरान निर्मित) सौर छतों का नियमित रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> पक्के घरों पर छत पर सोलर रूफटॉप की स्थापना को बढ़ाना सभी नई इमारतों पर छत पर सोलर रूफटॉप की स्थापना (चरण III के दौरान निर्मित) सौर छतों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<p>100% पीआरआई/सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप क्षमता की स्थापना:</p> <ol style="list-style-type: none"> पंचायत भवन = 75 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 5.3 kWp प्राइमरी स्कूल, जूनियर प्राइवेट स्कूल और जूनियर हाई स्कूल = 180 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 12.6 kWp आंगनवाड़ी = 60 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 4.2 kWp सीएससी (सामान्य सेवा केंद्र) = 20 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 1.4 kWp 	<ol style="list-style-type: none"> 160 (40%) पक्के मकानों की छतों पर सोलर पैनल की स्थापना प्रति पक्के घर में सौर छत क्षमता = 165 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 3 kWp⁵⁵ 160 (40%) पक्के घरों के लिए सौर छत क्षमता = 26,400 वर्ग मीटर; 480 kWp विद्युत उत्पादन क्षमता = लगभग 6,42,816 kWh⁵⁶ प्रति वर्ष (1761 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन से बचाव : प्रति वर्ष लगभग 527 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂e) सौर छतों का रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> 240 (60%) पक्के मकानों की छतों पर अतिरिक्त सौर पैनलों की स्थापना 240 (60%) पक्के घरों के लिए सौर छत क्षमता = 39,600 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 720 kWp विद्युत उत्पादन क्षमता = लगभग 9,64,224 kWh प्रति वर्ष⁵⁷ जीएचजी उत्सर्जन से बचाव : प्रति वर्ष लगभग 791 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂e)⁵⁸

55 घरों का औसत क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर माना गया है; 3 किलोवाट रूफटॉप प्रति घर अनुमानित है
 56 ग्राम पंचायत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वर्तमान बिजली खपत से ~35% अधिक होने की संभावना है।
 57 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली की खपत से दो गुना अधिक है
 58 उत्सर्जन से बचने से पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
लक्ष्य	<p>बिजली उत्पादन क्षमता = लगभग 31,471 kWh प्रति वर्ष (86 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन से बचाव : प्रति वर्ष लगभग 25.8 टन CO₂e</p> <p>हाल ही में आरम्भ की गई पीएम सूर्य घर योजना के बेहद जरूरी और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के आलोक में, घर छतों पर सोलर पीवी स्थापना के लिए भी इस चरण का हिस्सा बन सकते हैं।</p>		2. सौर छतों का रखरखाव
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹11, 75,000	कुल लागत: ₹2,40,00,000 सांकेतिक सब्सिडी ⁵⁹ : ~40% (राज्य + सीएफ़ए) प्रभावी लागत: ₹1,44,00,000	कुल लागत: ₹3,60,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफ़ए) प्रभावी लागत: ₹2,16,00,000



कृषि-फोटोवोल्टिक संस्थापन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना	बागवानी (सब्जियां और फल) और दलहन फसलों (मटर, चना, अरहर, बाजरा, तिल, मूंग, उड़द) के क्षेत्र पर एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना	बागवानी (सब्जियां और फल) और दलहन फसलों (मटर, चना, अरहर, बाजरा, तिल, मूंग, उड़द) के क्षेत्र पर एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना को बढ़ाना

59 सब्सिडी/अनुदान राशी परिवर्तनशील होते हैं और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए अनुमानित सब्सिडी/अनुदान राशि पिछले पूर्व के स्वरूप और औसतों पर आधारित है और संभव है की यह राशी वर्तमान समय में सटीक न हो।

लक्ष्य

किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्र आयोजित करना

4 हेक्टेयर बागवानी और दलहन फ़सल भूमि पर एग्रो-फोटोवोल्टिक की संस्थापना
 संस्थापित क्षमता: 1,000 kWp (250 kWp प्रति हेक्टेयर)
 बिजली उत्पादन: 13,40,000 kWh प्रति वर्ष⁶⁰
 जीएचजी उत्सर्जन से बचाव : प्रति वर्ष 1,098 tCO₂e
 (दलहन के अंतर्गत कुल भूमि क्षेत्र लगभग 105 हेक्टेयर
 सब्जियों और फलों का कुल क्षेत्रफल लगभग 100 हेक्टेयर)

6 हेक्टेयर बागवानी और दलहन फ़सल भूमि पर अतिरिक्त कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना
 स्थापित क्षमता: 1,500 kWp (250 kWp प्रति हेक्टेयर)
 विद्युत उत्पादन: 20,10,000 kW आउट प्रति वर्ष (47,698 यूनिट प्रति दिन)
 जीएचजी उत्सर्जन से बचाव : प्रति वर्ष 1,647 tCO₂e

अनुमानित लागत⁶¹

कुल लागत: ₹10,00,00,000 (₹1 लाख /kWp)

कुल लागत: ₹15,00,00,000 (₹1 लाख/kWp)



सौर पंप

चरण

2024-25 to 2026-27

2027-28 to 2029-30

2030-31 to 2034-35

ग्राम पंचायत में मौजूदा डीजल पंप सेट के स्थान पर सौर पंप लगाना**
 *यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा डाक पंप) पर विचार किया जा सकता है।

1. ग्राम पंचायत में अधिक डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से बदलना
2. सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना

1. ग्राम पंचायत में अधिक डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से बदलना
2. सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना

60 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से लगभग 70% अधिक है

61 समय के साथ प्रौद्योगिकी/तकनीकों में प्रगति हो रही है जिसके परिणामस्वरूप एग्रो-पीवी की लागत में कमी आ रही है हालाँकि जो अनुमानित लागत वर्णित की गयी है वो अधिक हो सकती है। इसके साथ ही यह माना जा रहा है की, क्योंकि किसान बागवानी और सामान प्रकृति की अन्य फसलों हेतु निर्धारित भूमि/कृषि भूमि के लिए भी फसल चक्र अपनाते है इस कारण एग्रो-पीवी की स्थापना के लिए बागवानी अंतर्गत उपलब्ध भूमि का केवल कुछ प्रतिशत को ही ध्यान में रखा गया है।

लक्ष्य

24 (20%) मौजूदा डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से बदलना
 संस्थापित क्षमता: $5.5 \times 24 = 132$ kW
 बिजली उत्पादन क्षमता = 1,76,774 kWh प्रति वर्ष
 डीजल की खपत में कमी :
 9,360 लीटर/वर्ष
 जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: प्रति वर्ष 25.2 tCO₂e

36 और डीजल पंपों को सौर पंपों से बदलना (यानी चरण I और II में मौजूदा डीजल पंपों में से 50% को बदला जाना)
 संस्थापित क्षमता: 198 kW
 विद्युत उत्पादन क्षमता = प्रति वर्ष 2,65,162 kWh
 डीजल की खपत में कमी :
 14,040 लीटर/वर्ष
 जीएचजी उत्सर्जन से बचाव : प्रति वर्ष 37.8 tCO₂e

शेष 60 डीजल पंपों को सौर पंपों से बदलना (अर्थात चरण I, II और III में मौजूदा डीजल पंपों में से 100% को प्रतिस्थापित करना)
 संस्थापित क्षमता: 330 kW
 बिजली उत्पादन क्षमता = 4,41,936 kWh प्रति वर्ष
 डीजल की खपत में कमी : 23,400 लीटर/वर्ष
 जीएचजी उत्सर्जन से बचाव : प्रति वर्ष 63 tCO₂e

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹72,00,000 से ₹1,20,00,000 (प्रति पंप ₹3 से ₹5 लाख)
 सांकेतिक सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफ़ए)
 प्रभावी लागत: ₹28,80,000 से ₹48,00,000

कुल लागत: ₹1,08,00,000 से ₹1,80,00,000
 सांकेतिक सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफ़ए)
 प्रभावी लागत: ₹43,20,000 से ₹72,00,000

कुल लागत: ₹1,80,00,000 से ₹3,00,00,000
 सांकेतिक सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफ़ए)
 प्रभावी लागत: ₹72,00,000 से ₹1,20,00,000



रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग/ क्लीन कुकिंग

चरण सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I
2024-25 से 2026-27
 विकल्प 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी
 विकल्प 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव + एलपीजी
 विकल्प 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव + बेहतर चूल्हे + एलपीजी

II
2027-28 से 2029-30
 विकल्प 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी
 विकल्प 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव + एलपीजी
 विकल्प 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव + बेहतर चूल्हे + एलपीजी

III
2030-31 से 2034-35
 विकल्प 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी
 विकल्प 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव + एलपीजी
 विकल्प 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव + बेहतर चूल्हे + एलपीजी

विकल्प 1: 99 परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (25% परिवारों द्वारा में 2 से 4 मवेशी) + 801 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग
 विकल्प 2: 78 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में परिवारों द्वारा का 25%) + 822 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग
 विकल्प 3: 78 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में परिवारों द्वारा का 25%) + 130 परिवारों द्वारा उन्नत चूल्हे का उपयोग (उन घरों का 50% जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 692 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग
 (ग्राम पंचायत में कुल परिवार = 900 44% परिवार (396 घर) डेयरी और मुर्गीपालन में लगे हुए हैं औसतन, प्रत्येक परिवारों द्वारा में 2-4 पशुधन होते हैं शीर्ष आय वर्ग में परिवार = 315
 a. 2 लाख से 5 लाख - 25% घर
 b. 5 लाख से अधिक - 10% घर)

विकल्प 1: 99 अधिक परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (अतिरिक्त 25% घर जिनमें 2 से 4 मवेशियों वाले) यानी कुल 198 परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग + 702 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग
 विकल्प 2: 78 अधिक परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय समूहों में अतिरिक्त 25% घर) यानी कुल 156 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग + 744 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग
 विकल्प 3: 78 अधिक परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में अतिरिक्त 25% घर) यानी कुल 156 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग + 130 अधिक परिवारों द्वारा उन्नत चूल्हे का उपयोग (शेष 50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग) + 614 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग

विकल्प 1: 198 अधिक परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (अतिरिक्त 50% घर जिनमें 2 से 4 मवेशियों वाले) यानी कुल 396 परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग + 504 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग
 विकल्प 2: 156 अधिक परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय समूहों में अतिरिक्त 50% घर) यानी कुल 315 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग + 585 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग
 विकल्प 3: 156 अधिक परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय समूहों में अतिरिक्त 50% घर) यानी कुल 315 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग + 260 परिवारों द्वारा पहले से ही बेहतर चूल्हों का उपयोग (जैसा कि चरण II में) + 325 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग

विकल्प 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50 लाख (2 से 3 क्यूबिक मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)
 विकल्प 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹35,10,000 (बैटरी के बिना 1 डबल बर्नर सोलर कुकस्टोव के लिए ₹45,000)
 विकल्प 3: ₹39 लाख = सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹35,10,000 + ₹3,90,000 (1 बेहतर चूल्हा @ ₹3,000)
 औसत लागत : ₹41,36,000

विकल्प 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50 लाख
 विकल्प 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹35,10,000
 विकल्प 3: ₹39 लाख = सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹35,10,000 + ₹3,90,000
 औसत लागत : ₹41,36,000

विकल्प 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹1 करोड़
 विकल्प 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹70,20,000
 विकल्प 3: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹70,20,000
 औसत लागत : ₹80,00,000



चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> सरकारी/पीआरआई भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदलना (पंचायत भवन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, पीएचसी, आदि) ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना सभी नए निर्माण कार्यों में केवल एलईडी बल्ब और ट्यूब लाइट लगाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों में फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट के स्थान पर एलईडी ट्यूब लाइट लगाना घरों में 1 पारंपरिक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखे से बदलना सभी नए निर्माणों में केवल एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखे ही लगाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों में पारंपरिक पंखे के स्थान पर ऊर्जा कुशल पंखे लगाना सभी नए निर्माणों में केवल एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखे ही लगाना

लक्ष्य

	<ol style="list-style-type: none"> सभी पीआरआई/सरकारी भवनों में एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखों के साथ मौजूदा फिक्स्चर का 100% बदला जाना सभी (100%) घरों में 900 मौजूदा ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदलना (प्रत्येक घर में 1) 	<ol style="list-style-type: none"> सभी (100%) घरों में अतिरिक्त 1800 एलईडी ट्यूब लाइटें लगाना (प्रत्येक घर में अतिरिक्त 2) सभी (100%) घरों में 900 ऊर्जा कुशल पंखे स्थापित करना (प्रत्येक घर में 1) 	सभी (100%) घरों में अतिरिक्त 900 ऊर्जा कुशल पंखे स्थापित करना (प्रत्येक घर में 1 पंखा)
--	---	---	--

अनुमानित लागत

घरों में 900 एलईडी ट्यूब लाइटें = लगभग ₹2 लाख	<ol style="list-style-type: none"> घरों में 1800 एलईडी ट्यूब लाइट = ₹4 लाख 900 ऊर्जा कुशल पंखे = ₹10 लाख कुल लागत : ₹14 lakh	900 ऊर्जा कुशल पंखे = ₹10 लाख
---	--	-------------------------------

62 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर



सौर स्ट्रीट लाइट

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
चरण	<p>1. मौजूदा एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में उन्नत करना</p> <p>2. सड़कों, फुटपार्थों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों के आसपास और अन्य प्रमुख स्थानों पर नई सौर एलईडी और हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट की स्थापना</p> <p>3. मौजूदा स्ट्रीटलाइट्स का रखरखाव और मरम्मत (जहां भी आवश्यक हो)</p> <p>(वर्तमान में जीपी में: 150 एलईडी स्ट्रीटलाइट्स और 25 सौर स्ट्रीटलाइट्स हैं)</p>	<p>1. अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में उन्नत करना</p> <p>2. सड़कों, फुटपार्थों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों के आसपास और अन्य प्रमुख स्थानों पर नए सौर एलईडी और हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट की स्थापना</p> <p>3. मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और मरम्मत (आवश्यकतानुसार)</p>	<p>1. अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में उन्नत करना</p> <p>2. सड़कों, फुटपार्थों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों के आसपास और अन्य प्रमुख स्थानों पर नए सौर एलईडी और हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट की स्थापना</p> <p>3. मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और मरम्मत (आवश्यकतानुसार)</p>
लक्ष्य	<p>1. मौजूदा एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में से 30 (20%) को सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में उन्नत करना</p> <p>2. सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों⁶³ के आसपास 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स स्थापित करना</p> <p>3. सड़कों, फुटपार्थों, आंतरिक सड़कों पर (आवश्यकता के अनुसार) अतिरिक्त सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स स्थापित करना</p>	<p>1. अतिरिक्त 60 (40%) मौजूदा एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में उन्नत करना</p> <p>2. सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास अतिरिक्त 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना।</p> <p>3. सड़कों, फुटपार्थों, आंतरिक सड़कों पर अतिरिक्त सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स स्थापित करना (आवश्यकता के अनुसार)</p>	<p>1. मौजूदा एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में से शेष 60 (40%) को सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में उन्नत करना</p> <p>2. सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स स्थापित करना</p> <p>3. सड़कों, फुटपार्थों, आंतरिक सड़कों पर अतिरिक्त सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स स्थापित करना (आवश्यकता के अनुसार)</p>

63 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट और ग्राम प्रधान के साथ हुई चर्चा के आधार पर

1. 30 एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में उन्नत करना = ₹3 लाख
 2. 5 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट = ₹2,50,000
 कुल लागत = ₹5.5 लाख

1. 60 एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में उन्नत करना = ₹6 लाख
 2. 5 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट = ₹2,50,000
 कुल लागत = ₹8.5 लाख

1. 60 एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में उन्नत करना = ₹6 लाख
 2. 5 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट = ₹2,50,000
 कुल लागत = ₹8.5 लाख

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁶⁴ में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :
 - » आवासीय क्षेत्र में सौर स्थापना पर सब्सिडी: एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता 15,000 रुपये/kW से अधिकतम सीमा 30,000/- रुपये तक का प्रावधान है
 - » संस्थानों में रेस्को⁶⁵ मोड में यूपीनेडा के परामर्शसे संयंत्र की लागत का 3 प्रतिशत परामर्शशुल्क के साथ सौर स्थापना का प्रावधान है।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के माध्यम से एमएनआरई (MNRE) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) (CFA) :
 - » 3 किलोवाट क्षमता तक के आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक ही होगा।
 - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस (RTS) संयंत्र की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत तक सीमित है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए (GHS/RWA) के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं है
 - » गरीब परिवारों के लिए सौर छत की स्थापना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना⁶⁶ के माध्यम से की जा सकती है। इस योजना में 2 किलोवाट प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% अनुदान और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के प्रणाली हेतु 40% का अनुदान प्रदान करती है। अनुदान को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। वर्तमान बेंचमार्क मूल्यों पर, यह योजना 1 किलोवाट प्रणाली के लिए रुपये 30,000 अनुदान, 2 किलोवाट प्रणालियों के लिए रुपये 60,000 और 3 किलोवाट प्रणालियों या उच्चतर के लिए रुपये 78,000 का अनुदान होगा।
- पीएम कुसुम योजना के घटक क, ख और ग
 - » घटक क, कृषि भूमि पर 500 kW और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - » संघटक ख और ग के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें प्रति पंप आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेंगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किशतों में बैंक को किया जा सकता है।
- पीएम कुसुम योजना में यूपी सरकार का योगदान:
 - » घटक ग-1 के अंतर्गत: किसानोंको 60 प्रतिशत सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलरइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - » घटक ग-2 के अंतर्गत: एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सौरीकरण 50 लाख रुपये प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता अंतर फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान किया जाता है

64 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर_प्रदेश_सोलर_एनर्जी_पॉलिसी_2022.pdf

65 तृतीय पक्ष (रेस्को मोड) (नवीकरणीय योग्य ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

66 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

- ग्राम पंचायतों में एलईड स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁶⁷
 - » ईईएसएल अपनी लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देता है और सात साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त प्रतिस्थापन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
 - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वॉट एलईडी और तन दिन के बैटरी बैकअप के साथ सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी का प्रावधान करता है
- ग्राम उजाला योजना⁶⁸
 - » एलईडी बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
 - » चालू इनकैंडीसेंट बल्बों के बदले 7 वॉट और 12 वॉट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सब्सिडी
 - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता दो योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को लागू कर रहा है।
 - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी नामक एक योजना लागू कर रहा है।
 - » प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत कोल्ड चैन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक संपूर्ण आपूर्तिके साथ अवसंरचना की सुविधा के निर्माण के लिए 35 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है और गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए श्रृंखला प्राप्त करी जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चैन⁶⁹ अवसंरचना के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर-आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो -एग्रोरिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से कोष का लाभ उठाना।
 - » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों⁷⁰ की स्थापना के लिए वर्ष 2020-21 से 2024- 25 की अवधि के लिए प्रति जिले 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022⁷¹ में गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान है :
 - » सीबीजी उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर 75 लाख रुपये प्रति टन से लेकर अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन।
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
 - » स्टाम्प ड्यूटी एवं विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता 0.25 करोड़ रुपये प्रति 12000 m³/दिन है।⁷²

67 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।

68 ग्राम उजाला योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), पीआईबी

69 अर्थात्. फार्मस्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान कोल्ड स्टोरेज, सीए भंडारण, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग इकाइयां

70 <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1883926>

71 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022>

72 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ गठजोड़
- कृषि -फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी।
- सीएसआर फंड क इस्तेमाल किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/ कृषि -फोटोवोल्टिक्स/सौर पंपोंकी स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को संलग्न करने के लिए
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए
 - » रूफटॉप पर सौर ऊर्जा (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियानों का आयोजन।
- ऋण सुरक्षित करने के लिए स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ सहयोग; कृषि-फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को लागू करने के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी बनाना; वित्तीय सहायता के लिए सीएसआर फंड का लाभ उठाना।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीपीसीएल)
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग



6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता

संदर्भ एवं मुद्दे

1. ऐंचवारा में कुल 416 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 315 दोपहिया वाहन, 40 कारें, 14 जीप, 36 ट्रैक्टर, 3 ट्रक और 8 ऑटो-रिक्शा⁷³। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में लगभग 30 ई-रिक्शा हैं।
2. कृषि उपज/वस्तुओं के परिवहन के लिए किसानों द्वारा छोटा हाथी (मिनी ट्रक) या ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। जिन किसानों के पास ऐसे वाहन नहीं हैं वे इन्हें पड़ोसी किसानों⁷⁴ से किराये पर लेते हैं।
3. आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन खपत 131.5 किलोलीटर डीजल और ~63 किलोलीटर पेट्रोल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र ईंधन की खपत के कारण 424.5 tCO₂e उत्सर्जन हुआ है⁷⁵।
4. ग्राम पंचायत में लगभग 5 किमी कच्ची सड़कें हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत में सड़कों के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हैं, उनमें गड्ढे हैं और फुटपाथों का अभाव है।

ऐसी परिस्थिति में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और बिजली से चलने वाले वाहनों (ई-मोबिलिटी) जैसे समाधानों को अपनाने की पहल की महत्वपूर्ण गुंजाइश है।

73 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

74 क्षेत्र सर्वेक्षण और ग्राम प्रधान के साथ चर्चा के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार

75 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर



मौजूदा सड़क बुनयादी ढाँचे बेहतर करना

चरण
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में सभी आंतरिक सड़कों का पक्की सड़कों के रूप में निर्माण मौजूदा सड़कों के लिए मरम्मत कार्य जिनमें गड्ढे या कोई अन्य क्षति है चयनित स्थानों पर फुटपाथ/पथमार्गों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में सभी सड़कों और फुटपाथों की मरम्मत और रखरखाव चयनित स्थानों पर अतिरिक्त फुटपाथ/पथ का निर्माण 	ग्राम पंचायत में सभी सड़कों और फुटपाथों की मरम्मत और रखरखाव

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा कच्ची सड़कों को 5 किलोमीटर तक पक्की सड़कों में विकसित करना ग्राम पंचायत के भीतर या उससे जुड़ने वाली सड़कों में सभी (100%) क्षति/गड्ढों आदि की मरम्मत निम्नलिखित क्षेत्रों में 600 मीटर लंबे फुटपाथ (इंटरलॉकिंग के साथ खरंजा) का निर्माण: <ul style="list-style-type: none"> » मनोहर बाबा » लोधता ऐंचवारा » बवाना ऐंचवारा » चमन्धन ऐंचवारा » गजता ऐंचवारा » रामदास का ऐंचवारा 	<ol style="list-style-type: none"> सभी (100%) सड़कों एवं फुटपाथों की मरम्मत एवं रखरखाव आवश्यकतानुसार चिन्हित स्थानों में अतिरिक्त 1 किमी लंबे फुटपाथ का निर्माण 	सभी (100%) सड़कों और फुटपाथों की मरम्मत और रखरखाव
--	---	---

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 5 किलोमीटर पक्की सड़कें: ₹2.5 करोड़ 600 मीटर लंबे फुटपाथ⁷⁶: <ul style="list-style-type: none"> » खरंजा = ₹60 लाख » इंटरलॉकिंग = ₹50 लाख <p>कुल = ₹3,60,00,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> किमी लंबे फुटपाथ: <ul style="list-style-type: none"> » खरंजा = ₹1 करोड़ » इंटरलॉकिंग = ₹84 लाख <p>कुल = ₹1,84,00,000</p>	लागत: आवश्यकता के अनुसार
--	---	--------------------------



ई-ऑटोरिक्शा (अंतिम मील कनेक्टिविटी) के माध्यम से मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना

चरण

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	1. ग्राम पंचायत में मौजूदा ऑटो-रिक्शा के स्थान ⁷⁷ पर ई-ऑटोरिक्शा का इस्तेमाल करना	1. अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा का प्रावधान	1. अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा का प्रावधान (मांग के अनुसार)
	2. ग्राम पंचायत के सभी क्षेत्रों में सेवाक्षमता बढ़ाने के लिए अधिक ई-ऑटोरिक्शा जोड़ना	2. निम्नलिखित की संख्या बढ़ाने के लिए जीपी के भीतर और बाहर साझेदारी को बढ़ाना:	2. पंचायत के भीतर और बाहर साझेदारी को बढ़ाना
	3. निम्नलिखित के बीच ई-ऑटोरिक्शा को व्यावसायिक तौर पर किराये पर लेने (किराये के आधार पर) के लिए साझेदारी निर्माण और एक व्यवसाय मॉडल/प्रणाली स्थापित करना:	a. ई-ऑटोरिक्शा किराए पर देने वाले व्यवसाय/मालिक	3. मौजूदा ई-ऑटोरिक्शा का रखरखाव और मरम्मत कार्य
	a. ई-ऑटोरिक्शा किराए पर देने वाले व्यवसाय/मालिक	b. स्थानीय लोग (मजदूर वर्ग/युवा) ई-ऑटोरिक्शा किराये पर लेते हैं	4. जनता के लिए ई-ऑटोरिक्शा ट्रांजिट स्टॉप/पिक-अप पॉइंट के रूप में अतिरिक्त चुने गए स्थानों की योजना बनाना (मांग के अनुसार)
	b. मजदूर वर्ग/युवा किराये पर ई-ऑटोरिक्शा ले सके	3. मौजूदा ई-ऑटोरिक्शा का रखरखाव और मरम्मत कार्य	5. आईपीटी और ई-मोबिलिटी को चुनने के लाभों के बारे में स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना
	4. मौजूदा ई-ऑटोरिक्शा का रखरखाव और मरम्मत कार्य (यदि आवश्यक हो)	4. जनता के लिए ई-ऑटोरिक्शा ट्रांजिट स्टॉप/पिक-अप पॉइंट के रूप में अतिरिक्त चुने गए स्थानों की योजना बनाना	
5. जनता के लिए ई-ऑटोरिक्शा ट्रांजिट स्टॉप/पिक-अप पॉइंट के रूप में चुने गए स्थानों की योजना बनाना	5. आईपीटी और ई-मोबिलिटी को चुनने के लाभों के बारे में स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना		
6. आईपीटी और ई-मोबिलिटी को चुनने के लाभों के बारे में स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना			

77 ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान से चर्चा अनुसार

लक्ष्य

1. ग्राम पंचायत में मौजूदा 8 ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना
2. अतिरिक्त 10 ई-ऑटोरिक्शा का प्रावधान
3. साझेदारी निर्माण और ई-ऑटोरिक्शा किराये की प्रणाली की स्थापना
4. मौजूदा ई-ऑटोरिक्शा का रखरखाव और मरम्मत
5. 4-5 ई-ऑटोरिक्शा ट्रांजिट स्टॉप/पिक-अप पॉइंट तैयार करना
6. जागरूकता बढ़ाना

1. अतिरिक्त 20 ई-ऑटोरिक्शा का प्रावधान
2. साझेदारी को बढ़ाना
3. मौजूदा ई-ऑटोरिक्शा का रखरखाव और मरम्मत
4. नए 4-5 ई-ऑटोरिक्शा ट्रांजिट स्टॉप/पिक-अप पॉइंट विकसित करना
5. जागरूकता बढ़ाना

1. साझेदारी को बढ़ाना
2. मौजूदा ई-ऑटोरिक्शा का रखरखाव एवं मरम्मत
3. जागरूकता बढ़ाना

अनुमानित लागत

1. एक ई-ऑटोरिक्शा की लागत⁷⁸: लगभग ₹3,00,000
 - » उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक
 - » 1 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹2,88,000
 2. 18 ई-ऑटोरिक्शा की कुल लागत (सब्सिडी के साथ): ₹.51,84,000
- ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन से बचाव (8 डीजल ऑटो को बदलने के लिए): : 85.88 tCO₂e⁷⁹ प्रति वर्ष

कुल लागत (अनुदान सहित) =
रु. 57,60,000

78 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹1,50,000 - ₹4,00,000 और अधिक तक होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी प्रकार और अन्य पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

79 समुदाय से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रति ऑटो GHG उत्सर्जन 10.73 tCO₂e अनुमानित है। डीजल ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा के उपयोग से यह उत्सर्जन कम हो जाएगा और पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या यहां तक कि कार्बन सकारात्मक बनने में योगदान मिलेगा।



ई-माल परिवहन और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर का प्रावधान ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर के बीच व्यावसायिक किराये (किराये के आधार पर) के लिए साझेदारी का निर्माण और एक व्यवसाय मॉडल/प्रणाली स्थापित करना: <ol style="list-style-type: none"> ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर देने वाले व्यवसाय/मालिक ("आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में विस्तारित) किसान/मजदूर वर्ग/युवा ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर ले रहे हैं किसानों/ट्रांसपोर्टों को पारंपरिक डीजल-आधारित वाहनों के स्थान पर ई-ट्रैक्टर/वाहक चुनने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रोत्साहन प्रणाली (किराया शुल्क आदि पर सब्सिडी) ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर का प्रावधान निम्नलिखित की संख्या बढ़ाने के लिए पंचायत के भीतर और बाहर साझेदारी को बढ़ाना: <ol style="list-style-type: none"> ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर देने वाले व्यवसाय/मालिक किसान/मजदूर वर्ग/युवा ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर ले रहे हैं मौजूदा ई-माल वाहकों और ई-ट्रैक्टरों के लिए रखरखाव और मरम्मत कार्य ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/ लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना 	<ol style="list-style-type: none"> ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर का प्रावधान (मांग के अनुसार) ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर साझेदारी को बढ़ाना मौजूदा ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर के लिए रखरखाव और मरम्मत कार्य उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/ लॉजिस्टिक्स मालिकों) को ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 2 से 3 ई-ट्रैक्टर की उपलब्धता 2 से 3 ई-माल वाहक (मिनी माल परिवहन ट्रक) की उपलब्धता साझेदारी निर्माण और ई-गुड्स कैरियर और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की प्रणाली की स्थापना संवेदीकरण एवं जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 2 से 3 ई-ट्रैक्टर की उपलब्धता अतिरिक्त 2 से 3 ई-माल वाहक (मिनी माल परिवहन ट्रक) की उपलब्धता साझेदारी को बढ़ाना मौजूदा ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर का रखरखाव और मरम्मत संवेदीकरण एवं जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> साझेदारी को बढ़ाना मौजूदा ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर का रखरखाव और मरम्मत संवेदीकरण एवं जागरूकता बढ़ाना

1. 2 से 3 ई-ट्रैक्टर = ₹12 से ₹18 लाख (₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
 2. 2 से 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक = ₹18 से ₹30 लाख (₹9 से ₹10 लाख प्रति वाहन)
 कुल लागत = लगभग ₹40 लाख

1. 2 से 3 ई-ट्रैक्टर = ₹12 से ₹18 लाख (₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
 2. 2 से 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक = ₹18 से ₹30 लाख (₹9 से ₹10 लाख प्रति वाहन)
 कुल लागत = लगभग ₹40 लाख

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के सहयोग से सड़क जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण और इसकी मरम्मत
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 निम्नलिखित प्रदान करती है:
 - » खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी⁸⁰
 - » ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 10% की दर से
 - » दो पहिया ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15%
 - » तीन पहिया ईवी: पूर्व-फैक्टरी लागत का 15% @ ₹12000 प्रति वाहन तक
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME II) योजना के अंतर्गत ई-ऑटोरिक्षा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एन्वल्प और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)
- सीएसआर समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग

⁸⁰ सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में समय-समय पर बदलाव किया जाता रहता है और यह बदलाव सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों पर प्रेक्ष्य में होता है। इस कारण योजना के किसी भी अनुभाग में उल्लेखित कोई भी सब्सिडी केवल सांकेतिक है और सामान की खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है।



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

कृषि ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और 315 परिवार (35 प्रतिशत) आय के लिए खेती पर निर्भर हैं, जो भूमि-मालिक, कृषि भूमि किराए पर लेने या कृषि श्रमिकों जैसे विभिन्न रूपों में संलग्न हैं। कृषि क्षेत्र आजीविका संबंधी असुरक्षाओं से भरा हुआ है, विशेष रूप से बदलती जलवायु और वर्तमान अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण। इस प्रकार, जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य स्रोत पशुपालन गतिविधियाँ और गैर-कृषि मजदूरी-श्रम हैं। कुछ परिवार व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, लघु/कुटीर उद्योग, कला/हस्तशिल्प में भी संलग्न हैं। पिछले पांच वर्षों में 120 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। इसलिए, उल्लिखित गतिविधियों से परे, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई विकल्प प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्लास्टिक-वैकल्पिक सामग्री (बैग, गृह सज्जा, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) से उत्पाद बनाने के लिए महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लघु उद्यमियों को संलग्न करना।
2. पंचायत, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लघु उद्यमियों के बीच साझेदारी मॉडल विकसित करना
3. निम्न के लिए क्षमता निर्माण सत्र का आयोजन :
 - » उत्पाद श्रृंखला में विविधता लाएं
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का खरीदारी /बिक्री बढ़ाना

शुरुआती चरण में:

1. साझेदारी निर्माण और व्यवसाय स्थापित करना
2. निर्माण में 100 महिलाओं की सहभागिता
3. क्षमता निर्माण की गतिविधियाँ

इस ग्राम पंचायत और आसपास के गाँवों से दीर्घकालिक सहभागिता :

1. ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर साझेदारी को बढ़ाना
2. ग्राम पंचायत और आस-पास के गाँवों से सहभागिता को बढ़ाना
 - » अतिरिक्त 200-300 महिलाएँ
 - » अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी
3. नियमित क्षमता निर्माण गतिविधियाँ

लक्ष्य



जैविक कचरे से खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बिक्री

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच व्यापार और साझेदारी मॉडल विकसित:
 - » किसानों द्वारा कृषि अपशिष्टों की खाद/जैविक उर्वरक के रूप में कम्पोस्ट बनाकर बेचना
 - » पंचायत को कृषि अपशिष्ट बेचना
 - » प्रोत्साहन के रूप में पंचायत को बेचने हेतु खाद्य अपशिष्ट की घरेलू स्तर की खाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना
- समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों की क्षमता निर्माण:
 - » खाद और वर्मी-खाद बनाने की तकनीक
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद की खरीदारी/बिक्री

शुरुआती चरण में:

- साझेदारी निर्माण और व्यवसाय और प्रोत्साहन मॉडल स्थापित करना
 - » कृषि अपशिष्टों से खाद बनाकर पंचायत या सीधे बाजार में बेचना
 - » खाद्य अपशिष्ट को खाद बनाने और घरेलू स्तर पर उपयोग के लिए उपयोग करने या पंचायत को बेचने के लिए परिवारों को संलग्न करना
- क्षमता निर्माण गतिविधियाँ

दीर्घावधि लक्ष्य:

भागीदारी, खाद मात्रा और क्षमता निर्माण गतिविधियों को बढ़ाना

लक्ष्य



हरित उद्यमशीलता और नौकरियों को बढ़ावा देने हेतु ई-ऑटोरिक्षा को व्यावसायिक रूप से किराये पर लेना

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- निम्नलिखित के बीच ई-ऑटोरिक्षा को व्यावसायिक तौर पर किराये पर देने (किराये के आधार पर) के लिए साझेदारी निर्माण और एक व्यवसाय मॉडल/प्रणाली स्थापित करना:
 - » ई-ऑटोरिक्षा किराए पर देने वाले व्यवसाय/मालिक
 - » मजदूर वर्ग/युवा किराये पर ई-ऑटोरिक्षा ले रहे हैं
- आईपीटी और ई-मोबिलिटी को चुनने के लाभों के बारे में स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना

शुरुआती चरण में:

- साझेदारी निर्माण और ई-ऑटोरिक्षा वाणिज्यिक किराये की प्रणाली की स्थापना
- 10 ई-ऑटोरिक्षा के साथ किराये का व्यवसाय शुरू करना
- जागरूकता निर्माण गतिविधियाँ

दीर्घावधि लक्ष्य:

- साझेदारी बढ़ाना
- बाजार में अतिरिक्त 20 ई-ऑटोरिक्षा के साथ किराये के व्यवसाय को बढ़ाना

लक्ष्य



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-गुड्स कैरियर और ई-ट्रैक्टर की व्यावसायिक खरीद (किराए के आधार पर) के लिए साझेदारी का निर्माण और एक व्यवसाय मॉडल/प्रणाली की स्थापना:
 - » ई-गुड्स कैरियर और ई-ट्रैक्टर किराये पर देने वाले व्यवसाय/मालिक
 - » किसान/मजदूर वर्ग/युवा ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर ले रहे हैं
2. किसानों/ट्रांसपोर्टों को पारंपरिक डीजल-आधारित वाहनों के बजाय ई-ट्रैक्टर/वाहक चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन प्रणाली (किराया शुल्क आदि पर सब्सिडी) स्थापित करना।
3. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना

शुरुआती चरण में:

1. साझेदारी निर्माण और ई-गुड्स कैरियर और ई-ट्रैक्टर वाणिज्यिक हायरिंग सिस्टम की स्थापना
2. प्रोत्साहन मॉडल की स्थापना और संचालन
3. 2 से 3 ई-ट्रैक्टर और 2 से 3 ई-गुड्स कैरियर (मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक) के साथ किराये का व्यवसाय शुरू करना।
4. जागरूकता निर्माण गतिविधियाँ

दीर्घावधि लक्ष्य:

1. साझेदारी को बढ़ाना
2. बाजार में अतिरिक्त 2 से 3 ई-ट्रैक्टर और 2 से 3 ई-गुड्स कैरियर (मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक) के साथ किराये के व्यवसाय को बढ़ाना

लक्ष्य



सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- निम्नलिखित के बीच साझेदारी निर्माण और सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज को किराये पर देने के लिए एक व्यवसाय मॉडल/प्रणाली स्थापित करना:
 - » सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज किराए पर देने वाले व्यवसाय
 - » छोटे और मध्यम किसान (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों के भीतर) फ़सल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज किराये पे उपलब्ध करने की सुविधा स्थापित
 - » सहकारी समितियाँ (पारस की तरह) और अन्य संस्थागत खरीदार

लक्ष्य

65 मीट्रिक टन से 130 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (ग्राम पंचायत में सब्जियों की खेती के अंतर्गत ~ 100 हेक्टेयर)



प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन एवं बिक्री

मुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- पंचायत, सीमैप-लखनऊ, एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों आदि के बीच साझेदारी निर्माण:
 - » आरोग्य वन में एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों द्वारा प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन और बिक्री
 - » केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान (सीमैप), लखनऊ द्वारा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण

लक्ष्य

- 2 हेक्टेयर आरोग्य वन की स्थापना एवं कार्यप्रणाली
- साझेदारी एवं क्षमता निर्माण गतिविधियाँ



नवीकरणीय उर्जा स्थापनाओं का संचालन एवं रख-रखाव

मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- सौर उर्जा प्रतिष्ठानों के आरई रखरखाव में कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- सीएसआर से समर्थन, पंचायत के भीतर सौर और बायो-गैस स्थापना और संचालन एवं रख-रखाव व्यवसायों की स्थापना में केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किलिंग योजनाएं

वित्त पोषण और कौशल विकास

- हरित उद्यमशीलता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न ऋण योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से);
- सरकारी ऋण योजनाएं जैसे कि मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों की सहायता कर सकती हैं

सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाता है।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधियाये "आजीविका और उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 81,82,83:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- घरों में जल निकास और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

81 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

82 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

83 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁸⁴ का थार रेगिस्तान, राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए निर्माण किया गया है: जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁸⁵:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁸⁶:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूल उपाय है। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक है। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की

84 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

85 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

86 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद का सकते हैं।

यह गतिविधि संस्क्रुतियों के "सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब^{87,88}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁸⁹

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आवास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁹⁰" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁹¹

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतों में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

87 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

88 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

89 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

90 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspssc>

91 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) -राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁹²।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में⁹³

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

92 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

93 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁹⁴

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्प्लिफाइंग लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁹⁵

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

94 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

95 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, उंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁹⁶

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁹⁷


- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

96 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

97 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁸
<p>क. हरित आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक सुरक्षा सूक्ष्म जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ 	<p>एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
<p>ख. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)। पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9






98 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. वर्षा जल संचयन (आरडबल्यूएच) 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी से जुड़ी समस्याओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5
ख. जल स्रोतों का कायाकल्प और धारणीय तालाबों का निर्माण 	<ul style="list-style-type: none"> बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू आदि जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ा। 	एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4
ग. कुओं का जीर्णोद्धार और भूजल पुनर्भरण को बहाल करना 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
ग. जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना 		एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2
		एसडीजी 15: भूमि पर जीवन <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5

सतत कृषि

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. कृषि के लिए सूखा प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> सूखे, गर्मी के प्रभाव, कीटों आदि से फसलों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इको-डीआरआर⁹⁹ दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा 	एसडीजी 2: शून्य भूख <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई
ख. प्राकृतिक खेती अपनाना 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1
ग. सतत पशुधन प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3

99 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी


सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव कम हुआ जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9
<p>ख. जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8
<p>ग. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 	<ul style="list-style-type: none"> सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
		<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
		<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
		<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
		<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1










स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सौर छत स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम उन्नत आजीविका विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धुप के संपर्क से रहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज में स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट पे-बैंक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य 6.4</p> <p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.ए लक्ष्य 7.बी <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापना</p> 		
<p>ग. सौर पंप</p> 		
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग/क्लीन कुकिंग</p> 		
<p>ङ. ऊर्जा दक्ष फिक्स्चर</p> 		
<p>च. सौर स्ट्रीट लाइट</p> 		



सतत एवं उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मौजूदा सड़क बुनियादी ढाँचे बेहतर करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2
<p>ख. ई-ऑटोरिक्षा (अंतिम मील कनेक्टिविटी) के माध्यम से मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ग. इलेक्ट्रिक माल परिवहन और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 		   

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत सुझाव 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5
<p>ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बिक्री</p> 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>ग. हरित उद्यमशीलता और नौकरियों को बढ़ावा देने हेतु ई-ऑटोरिक्शा को व्यावसायिक रूप से किराये पर लेना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका के उन्नत विकल्प औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>घ. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ङ. सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराए पर देना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनकटिविटी वृद्धि 	
<p>च. प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन एवं बिक्री</p> 		
<p>छ. नवीकरणीय उर्जा स्थापनाओं का संचालन एवं रख-रखाव</p> 		



कार्यान्वयन पर प्रस्तावित सुझाव केवल ऐंचवारा के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा भी हासिल करने में भी मदद करेंगे, जिससे ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली (रेजिलेंट) और सतत बनाएगी। यह अपने निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त, ये सुझाव प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। ऐंचवारा के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि लागत, पानी आदि पर खर्च में कमी जैसे विभिन्न पहलुओं के माध्यम से इसे 'आत्मनिर्भर' बनाएगी और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलेगी।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के साथ ऐंचवारा ग्राम पंचायत जलवायु परिवर्तन पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगी, जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर यूपी राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित किया गया है, जो बदले में, जलवायु को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों में योगदान देगा। एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, वर्ष 2022 में सूचीबद्ध योगदानों को बदलना और वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को भी पूरा करना।

जलवायु संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर अनुरूप समाधान की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य साधनों की उपलब्धता से ही सफल हो सकता है। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित चल रही गतिविधियों को एकीकृत करके और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर हासिल किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नए बुनियादी ढांचे/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही ऐंचवारा को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान योजना की सफलता संभवतः अन्य ग्राम पंचायतों को खुद को स्मार्ट, लचीला और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रभावित करेगी। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ (LiFE) मिशन की तर्ज पर, एक स्थायी जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व और व्यवहार परिवर्तन की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य (यूपी) जलवायु विषय पर कार्य करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक नेतृत्व के अंतर्गत, राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु संबंधी व्यापक कार्यवाही शुरू की है। ऐसी ही एक पहल 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायतों' के लिए कार्ययोजना विकसित करना है। इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, यूपी के जलवायु की दृष्टि से 39 कमजोर जिलों¹⁰⁰ में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए तेजी से बहु-मानदंड मूल्यांकन किया गया था। चयनित ग्राम पंचायतों की घोषणा की गई और इनमें से कई को दिनांक 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) के दौरान सम्मानित किया गया।

एचवारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना¹⁰¹ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG) के सहयोग से विकसित किया गया है। कार्ययोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु कार्यवाही को मुख्यधारा में लाने के लिए एक अनुकूलित खाका प्रदान करना है। इसके परिणामस्वरूप न केवल जलवायु लचीलापन बनाने के लिए स्थानीयकृत जलवायु पहल को मजबूत किया जाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ बनने के लक्ष्य के साथ उत्सर्जन को भी कम किया जाएगा।

इस कार्ययोजना को तैयार करने में अपनाया गया सहभागी दृष्टिकोण बॉटम-अप योजना की अवधारणा को पुष्टि करता है। इस कार्ययोजना में प्रदान की गई प्रमुख सिफारिशों को व्यक्तिगत प्रायोगिक परियोजनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है जिन्हें सीएसआर फंड, मौजूदा राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रम, अभिनव सार्वजनिक-निजी भागीदारी, कार्बन वित्त और निजी निवेश जैसे कई वित्तपोषण विकल्पों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लिए, कार्ययोजना में पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) बनाने की रूपरेखा भी है और इस कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य अभिनेताओं और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच सहयोग और सहयोग बढ़ाना है।

कार्यप्रणाली

प्रस्तुत रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के साथ-साथ समुदाय के सहयोग से भरी गयी प्रश्नावली, एचआरवीसीए रिपोर्ट, अनुलग्नक के रूप में संलग्न ग्राम पंचायत का सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र से प्राप्त जानकारी सम्मिलित हैं।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना को तैयार करने के लिए, निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया गया :

- सर्वेक्षण प्रश्नावली तैयार करना: जमीनी स्तर पर स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य विकसित करने के लिए प्रमुख हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के इनपुट के साथ एक प्रश्नावली तैयार की गई। इस प्रश्नावली में जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु संबंधी धारणा (पिछले 5 वर्ष), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न पहलुओं को संलग्न किया गया। सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं

100 उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी जीओयुपी द्वारा उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन आयोजना कार्यक्षेत्र मूल्यांकन से उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक अतिसंवेदनशील जिलों को चिह्नित किया गया था।

101 इस दस्तावेज़ में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना संलग्न है और साथ ही इसमें अनुलग्नक के रूप में निम्न संलग्न हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; भरी हुई प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

तक पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों के साथ परामर्श और क्षमता निर्माण: स्थानीय सहयोगी स्वयं सेवी संस्थाओं, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्य और इनके घटकों, इन कार्ययोजनाओं के विकास की प्रक्रिया और इसमें उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी गई।
- इसके अतिरिक्त, सहयोगी स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रमुख जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाई जाने वाली सर्वेक्षण तकनीकों और फोकस समूह चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली पर प्रशिक्षण भी दिया गया।
- क्षेत्र का सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु, प्राथमिक डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चाओं का आयोजन किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत का भ्रमद भी किया गया।
 - » ग्राम पंचायत के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए एक खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) भी किया गया था।
 - » ऐंचवारा ग्राम पंचायत द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को चिह्नित करने के साथ-साथ पंचायत की विकास प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाएं की गईं।
- प्राप्त जानकारी के आधार पर योजना विकसित की गई और ग्राम पंचायत के लिए आधारभूत मूल्यांकन किया गया। इसमें क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियों की पहचान शामिल है जो न केवल पहचाने गए पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी मुद्दों को संबोधित करते हैं अपितु पंचायत की कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखते हैं।
- ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ व्यक्तिगत रूप में चर्चा के कई दौरों के माध्यम से जानकारी संबंधी कमियों की पहचान की गई और उन्हें दूर किया गया।
- योजना की रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया था।
- ग्राम पंचायत से मिले सुझाव के आधार पर आवश्यक अपडेट को समायोजित करने के बाद, कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : ऐंचवारा विकासखण्ड : मानिकपुर जनपद : चित्रकूट धाम कर्षी

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	01
2	टोलों की संख्या	10
3	a कुल जनसंख्या	6000
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	3143
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	2857
	d विकलांगजन की जनसंख्या	45
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	2880
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	221
4	कुल परिवार की संख्या	643
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	450
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	5 वर्ग कि०मी०
6 a	साक्षरता दर	85 प्रतिशत
7 a	पक्का घरों की संख्या	370
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	273 कच्ची मिट्टी)





II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	340	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	65	
	अनुबंध खेती	34	
	दिहाड़ी मजदूर	210	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	85	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	196	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	32	
	कुटीर उद्योग	24	
	कृषि	340	
	कला/हस्तकला	06	
	पशुपालन	280	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	54	
	व्यवसाय/उद्यम	22	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	160	
	अन्य	40	
10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले सीन	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/ व्यक्तिगत की संख्या	
	अन्य गांव	18	
	निकट के शहर	35	आजीविका के लिए
	राज्य के प्रमुख शहर	22	आजीविका के लिए
	देश के प्रमुख महानगर	45	आजीविका के लिए
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> नहीं



d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	हीं
---	--	-----

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	42
	किराए की भूमि/हुण्डा	0
	अनुबंध खेती	15
	दिहाड़ी मजदूर	85
	अन्य व्यवस्था	56
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	अधिकांश महिलाएं अपनी खेती से संबंधित कार्य करती है।
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	15
	कुटीर उद्योग	12
	कृषि	35
	कला/हस्तकला	Nil
	पशुपालन	20
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	03
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	42
	अन्य	8 महिलाएं सिलाई आदि का काम करती है।





12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1.	आरती	13	बकरीपालन/छोटी दुकान/मुर्गी पालन/गाय के गोबर के दिये मूर्ति/खोया दूध	6240	हां
2.	भारती	11	बकरीपालन/छोटी दुकान/मुर्गी पालन/गाय के गोबर के दिये मूर्ति/खोया दूध	5280	हां
3.	वासुदेव	11	बकरीपालन/छोटी दुकान/मुर्गी पालन/गाय के गोबर के दिये मूर्ति/खोया दूध	5280	हां
4.	शक्ति	11	बकरीपालन/छोटी दुकान/मुर्गी पालन/गाय के गोबर के दिये मूर्ति/खोया दूध	5280	हां
5.	प्रभू	13	बकरीपालन/छोटी दुकान/मुर्गी पालन/गाय के गोबर के दिये मूर्ति/खोया दूध	6240	हां
6.	सुन्दर	13	बकरीपालन/छोटी दुकान/मुर्गी पालन/गाय के गोबर के दिये मूर्ति/खोया दूध	6240	हां
7.	जय सन्तोषी	11	बकरीपालन/छोटी दुकान/मुर्गी पालन/गाय के गोबर के दिये मूर्ति/खोया दूध	5280	हां
8.	सत्ती दाई	13	बकरीपालन/छोटी दुकान/मुर्गी पालन/गाय के गोबर के दिये मूर्ति/खोया दूध	6240	हां
9.	बगलामुखी	11	बकरीपालन	5280	हां

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र	



Nil	<input type="checkbox"/> नहीं	ही	नही	नही	नही
Nil	<input type="checkbox"/>				
Nil	<input type="checkbox"/>				
Nil	<input type="checkbox"/>				
Nil	<input type="checkbox"/>				

14	अन्य समुदाय आधारित संगठन /					
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
	रोशनी ग्राम संगठन	हां	10	160000	xk; ds xkscj ls ewfrZ o fn;s cukuk rFkk feV~Vh ds crZu cukuk	"kgjh o xzkeh.k
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				
	Nil	<input type="checkbox"/>				

15	योजनाएं					
a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु0)	अन्य कोई बकाया (रु0)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
	मनरेगा	1175	900	85 लाख रुपये		मेडबन्धी, सेक्टर मार्ग निर्माण, इण्टरलाकिंग, मिट्टी का कार्य, बाल्मीकि नदी की सफाई



y	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	650	650	गैस चूल्हा, सिलेण्डर	0	0
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	110	500			
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	0				
	प्रधानमंत्री कुसुम योजना	0				
b	अन्य योजनाएं					
	ग्राम उज्जवला योजना	110	500			गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर
	ऊर्जा दक्षता योजना	0				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	0				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	240	240			
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीओडीएस)	340	340			प्रत्येक माह 5-35 किलों खाद्यान्न मिलता है।
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	0			
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	0				
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	0				
	मौसम आधारित फसल बीमा	0				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	0	10			
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	0				
	किसान क्रेडिट कार्ड	250				
	स्वच्छ भारत मिशन	110	110	1320000		लाभार्थी के घर शौचालय बना है।
	सौर सिंचाई पम्प योजना	1	1			लाभार्थी के घर सोलर पैनल लगा है।



	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	0				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	0				
	गोवर्धन योजना	0				
	जल पुनर्भरण योजना	0				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	0				
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	0				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	0				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	0				
	उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	0				

16	सक्रिय बैंक खाता धारकों की संख्या	5250
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	1360

18	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्य केन्द्र का उपयोग होता है		यदि नहीं, तो बाजार/ केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल (कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
	मानिकपुर (गेंहू)	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/>		8500	2600	12 किमी0
	कर्वी (धान)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2800	760	12 किमी0
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				





19 शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)					
	प्रकार/ स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आउट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आउट के मुख्य कारण (स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)
a	प्राथमिक विद्यालय 02	340.80	430	0	40 izfr''kr cPpsa ekulwu] tkM+s ds ekSle ,oa d'f'k dk;ksZa ds dkj.k fo ky; esa vuqifLFkr jgrs gSaA
b	जू० हाई स्कूल 01	225	290	0	
c	हाई स्कूल		Nil		
D	जूनियर प्राइवेट विद्यालय	152	145		
E	त्यागी इण्टर कालेज	3500	1500	135	20%

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Nil				
	Nil				
	Nil				
	Nil				

21 राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1),



				खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	कर्वी प्रयागराज मार्ग	1	1	12 KM.

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	5.22 square KM.
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	5.22 square KM.
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	5.22 square KM.
d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	Nil
e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	Nil
f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	Nil

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	5.4 acre		
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	2.25 acre		
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	बालू खनन		
	अतिरिक्त सूचनाएं	Nil		

24	जल निकाय क्षेत्र			
	विवरण	हां	नहीं	





a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	3	
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	Nil	
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	Nil	

25		जल आपूर्ति	
a	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3) तालाब / झील-(4) अन्य- (5)	3 वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3) नदी, पाइपलाइन	
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी	
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	1 3 5 7	
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	456	
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक	



f	पड़प जलापूर्ति की नियमितता 24× 7 घण्टे (1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	2 Time
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3 A), कूआ (3 B)) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	2, 3B, 3A, 6, 7
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	नलकूप एवं व्यक्तिगत बोरिंग का प्रयोग फसल की आवश्यकतानुसार, एवं वर्षाजल मौसमी है।
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	प्रवाह दर कम
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	घरेलू प्रयोग हेतु पर्याप्त है एवं कृषि आदि हेतु जल आपूर्ति अपर्याप्त है। Nil हां



IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
a	गर्मी के माह में देखा गया			
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	20		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)			
27				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		Lumsum 30 days	
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)			
28				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		20-25	
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	कम दिनों में अधिक वर्षा हो जाती है।		
29				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		20-25	
d	षरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		कम दिनों में वृद्धि	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



e	दिनों की संख्या	30 days	4-5	
f	अन्य सूचनाएँ/जानकारी			





चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	जून-जुलाई	जून-जुलाई	जून-जुलाई	जून-जुलाई	जून-जुलाई
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	1979 सूखा पड़ा 2000 लोग प्रभावित हुए। खेती भी प्रभावित हुई।				
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
	नहीं होती है	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	निल	सामान्य बाढ़			
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	Nil				
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	Nil				
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई		जनवरी	जनवरी मार्च		
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन निजी			कृषि स्तर पर प्रबन्धन निजी	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	जनवरी फरवरी	दिसम्बर	जनवरी फरवरी	जनवरी फरवरी	जनवरी
c	किस प्रकार के टिड्डी कीट/बीमारी को देखा गया?	माहू, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग	माहू, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग	माहो, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग	माहो, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग	माहो, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग
d	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	किसान स्वयं खरीदकर कीटनाषकों का छिड़काव करते हैं।				
e	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	Nil				

35 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी				
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध हैं?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?
	आपदा तैयारी के उपाय	नहीं	नहीं	नहीं



ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

36	अनाज भण्डारण	
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	Nil
	तेल	Nil
	घिनी	Nil
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	Nil
b	क्या ग्राम पंचायत में धीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	Nil

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
	स्थानीय कृषि अधिकारी	Nil
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	<input checked="" type="checkbox"/>
	मोबाईल फोन/एप	<input checked="" type="checkbox"/>
	मौखिक	<input checked="" type="checkbox"/>
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	Nil
	पशुपालन विभाग	Nil
	उद्यान विभाग	Nil
	अन्य	Nil



कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी (2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम- गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु०)
	प्रथम वर्ष (2022)	1	ज्वार मूंग, उर्द, बाजरा, तिल	रोग, वर्षा, अन्ना जानवर	150	750000
	द्वितीय वर्ष (2021)	1	ज्वार मूंग, उर्द, बाजरा, तिल	रोग, वर्षा, अन्ना जानवर	160	800000
	तृतीय वर्ष (2020)	1	ज्वार मूंग, उर्द, बाजरा, तिल	रोग, वर्षा, अन्ना जानवर	110	1400000
	चतुर्थ वर्ष (2019)	1	ज्वार मूंग, उर्द, बाजरा, तिल	रोग, वर्षा, अन्ना जानवर	140	550000
	पंचवां वर्ष (2018)	1	ज्वार मूंग, उर्द, बाजरा, तिल	रोग, वर्षा, अन्ना जानवर	125	625000
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी- बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है।				





39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ	रबी	जायद / अन्य ऋतु	
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है / देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	ज्वार मूंग बाजरा	जून का द्वितीय, तृतीय सप्ताह	जून- जुलाई	जुलाई के अंतिम सप्ताह	वर्षा न होने के कारण
	गेंहू	अक्टूबर	अक्टूबर नवम्बर	नवम्बर दिसम्बर	ठंड का देर से होना, इस वर्ष अक्टूबर में पानी बरसने के कारण जल्दी बुवाई से निचले स्थानों में दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में हुई है।
	सरसों	अक्टूबर	अक्टूबर	सितम्बर का अंतिम सप्ताह एवं अक्टूबर का प्रथम सप्ताह	अग्रैती सरसों की बुवाई, अग्रैती सरसों की बुवाई होने से माहो का प्रकोप कम होता है।
c	अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मोटे अनाज की फसलें			

40 सिंचाई प्रणाली / पद्धति में परिवर्तन					
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)	पूर्व में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)





		आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)		आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)		
	ज्वार बाजरा मूंग तिल, उर्द	वर्षा आधारित (4),	0	वर्षा आधारित (4),	1300	
	मेंहू	वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट ,	3500	वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट ,	3000	
	चना, सरसों, मटर	वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट ,	2500	वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट ,	2000	
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		120	Nil	Nil	वर्षा आधारित	नदी
c	अन्य सूचनाएं / जानकारी अगर कोई है	Nil				
41 पशु पालन / पशुधन						
a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		280 भैंस, 140 गाय 860 बकरी मुर्गी पालन			
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	अन्य (3) बकरी	बकरी 70	ष्पीतलहर व रोग	सर्दी बरसात	(2)



	द्वितीय वर्ष (2021)	अन्य 1,2(3) बकरी	बकरी 150	षीतलहर व रोग	सर्दी बरसात	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	अन्य (3) बकरी	बकरी 50	षीतलहर व रोग	सर्दी बरसात	(2)
	चतुर्थ वर्ष (2019)	अन्य (3) बकरी	बकरी 55	षीतलहर व रोग	सर्दी बरसात	(2)
	पंचम वर्ष (2018))	अन्य (3) बकरी	बकरी 35	षीतलहर व रोग	सर्दी बरसात	(2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्ताख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	मुर्गी (1)	150 मुर्गी के चूजे(1)	षीतलहर	सर्दी	(2)
	द्वितीय वर्ष (2021)	मुर्गी (1)	160 मुर्गी के चूजे(1)	षीतलहर	सर्दी	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	मुर्गी (1)	225 मुर्गी के चूजे(1)	षीतलहर	सर्दी	(2)
	चतुर्थ वर्ष (2019)	मुर्गी (1)	300 मुर्गी के चूजे(1)	षीतलहर	सर्दी	(2)
	पंचम वर्ष (2018))	मुर्गी (1)	230 मुर्गी के चूजे(1)	षीतलहर	सर्दी	(2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil				
	द्वितीय वर्ष (2021)	Nil				
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil				
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Nil				




	पंचम वर्ष (2018)	Nil				
	अन्य जानकारी / सूचनाए	Nil				





V. कृषि व पशुपालन

42		प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी													
a	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी					
				औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)				
	ज्वार	गर्मी	1360												
	बाजरा														
	मूंग														
	गहूँ	सर्दी	8500	100 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी	1	कराटे, (कीटनाशक) पयूराडान,	200 ml /एकड़ 200 gram /एकड़	1	200 ml /एकड़ 200 gram /एकड़	250 प्रति एकड़	2-4द	250 प्रति एकड़	1		
	सरसों	सर्दी	850	यूरिया, डीएपी	1	कराटे, (कीटनाशक) पयूराडान,	200 ml /एकड़ 200 gram /एकड़	1	200 ml /एकड़ 200 gram /एकड़	250 प्रति एकड़	2-4द	250 प्रति एकड़	1		
	क्या ग्राम पंचायत में फसल	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	क्या यह फसल अवशेष	60 किलो यूरिया, 40 किलो डी0ए0पी0, 3 किलो सल्फर	1	कराटे, (कीटनाशक) पयूराडान,	200 ml /एकड़ 200 gram /एकड़	1	200 ml /एकड़ 200 gram /एकड़	250 प्रति एकड़	250 प्रति एकड़	1		
b	क्या ग्राम पंचायत में फसल	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	क्या यह फसल अवशेष	60 किलो यूरिया, 40 किलो डी0ए0पी0, 3 किलो सल्फर	1	कराटे, (कीटनाशक) पयूराडान,	200 ml /एकड़ 200 gram /एकड़	1	200 ml /एकड़ 200 gram /एकड़	250 प्रति एकड़	250 प्रति एकड़	1		
				जलाये गये खेतों का कुल	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया										



	अवशेष जलायें जाते हैं			क्षेत्रफल (एकड़)	पूर्व में जलायें जाते थे		



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां					
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (₹0 / कुत्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित	
ज्वार	12 acre	2000	Manikpur		
बाजरा	40 acre	2200	Manikpur		
मूंग	15 acre	5000	Manikpur		
उर्द	20 acre	6000	Manikpur		
तिल	30 acre	6000	Manikpur		
धान	56 acre	6000	Manikpur		

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)				
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिंग, फसल चक्र, अन्तः-फसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसलें, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)	
ज्वार	प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, कम्पोस्ट, फसल चक्र	12 acre	80000	
बाजरा	प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, कम्पोस्ट, फसल चक्र	40 acre	264000	
उर्द	प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, कम्पोस्ट, फसल चक्र	15 acre	100000	
तिल	प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, कम्पोस्ट, फसल चक्र	20 acre	120000	
धान	प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, कम्पोस्ट, फसल चक्र	30 acre	130000	



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां										
पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6) - उल्लेख करें	मोनोक्लचर प्रजातियां (2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/ अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)- उल्लेख करें
कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी	5 एकड़	निजी खेत एवं तालाब के भीतों में	2 3	1 2	सागौन, शीशम, आम, अमरुद, महुआ, आवला	5-10 वर्ष पूर्व	40	व्यक्तिगत लाभ फल एवं जलौनी	1	1
सामाजिक वानिकी सामान्य	15 हेक्टर	रेंचवार I वन क्षेत्र	1, 2, 3, 4,	2	शीशम सागौन आवला जामुन	2021-22	50	व्यक्तिगत लाभ फल एवं जलौनी	1	1
सुरक्षा खाई	0									1



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां					
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु० / कुत्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित	
ज्वार	12 acre	2000	Manikpur		
बाजरा	40 acre	2200	Manikpur		
मूंग	15 acre	5000	Manikpur		
उर्द	20 acre	6000	Manikpur		
तिल	30 acre	6000	Manikpur		
धान	56 acre	6000	Manikpur		

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)				
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिंग, फसल चक्र, अन्तः-फसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसलें, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)	
ज्वार	प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, कम्पोस्ट, फसल चक्र	12 acre	80000	
बाजरा	प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, कम्पोस्ट, फसल चक्र	40 acre	264000	
उर्द	प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, कम्पोस्ट, फसल चक्र	15 acre	100000	
तिल	प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, कम्पोस्ट, फसल चक्र	20 acre	120000	
धान	प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, कम्पोस्ट, फसल चक्र	30 acre	130000	



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां										
पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)– उल्लेख करें	मोनोक्लचर प्रजातियां (2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/ अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण– लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)– उल्लेख करें
कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी	5 एकड़	निजी खेत एवं तालाब के भीटों में	2 3	1 2	सागौन, शीशम, आम, अमरुद, महुआ, आवला	5-10 वर्ष पूर्व	40	व्यक्तिगत लाभ फल एवं जलौनी	1	1
सामाजिक वानिकी सामान्य	15 हेक्टर	रेंचवार I वन क्षेत्र	1, 2, 3, 4,	2	शीशम सागौन आवला जामुन	2021-22	50	व्यक्तिगत लाभ फल एवं जलौनी	1	1
सुरक्षा खाई	0									1



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन प्रतिमाह/बेचने पर	
गाय (देशी नस्ल)	140	पशुआहार, खुले में चराई	3000/-	
गाय (संकर नस्ल)	28			
भैंस (देशी नस्ल)	280	पशुआहार, खुले में चराई	10000-	
भैंस (संकर नस्ल)	20	
बकरी	860	पशुआहार, खुले में चराई	3000/- बेचने पर	
सुअर	120	पशुआहार, खुले में चराई	2000/- बेचने पर	
मुर्गी	3600	पोषण पूरक, आहार	200/- बेचने पर	
मत्स्य				
अन्य				

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	मीठा	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	मटमैला	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक			क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	सब्जी का छिलका, सूखा कचरा	2 किलो				
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	इकट्ठा नहीं होता है। वर्तमान समय में लोग कचरा अपने बाड़ों में डालते हैं।					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input checked="" type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हां	नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति		200 मी0	
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	yes	<input checked="" type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	No	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	फेंक देते हैं

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति			
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	560	<input type="checkbox"/>
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	1	<input type="checkbox"/> प्रमुख स्थान पंचायत भवन के पास
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हां	
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)		





50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	हां	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	80 प्रतिघर			15-20 ली विपणन हेतु सब्जी की सफाई	
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	नहीं				
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	नहीं				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	✓ <input type="checkbox"/>	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	✓ <input type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	4	<input type="checkbox"/>	
e	आशा	4	<input type="checkbox"/>	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	5	<input type="checkbox"/>	
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	

52	रोग/बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	240	86	36	28	yes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



b	जल-जनित रोग (हैजा / डायरिया / टाईफाईड / हैपेटाइटिस आदि)	130	48	18	16	yes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	8	0		8	yes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	कुपोषण	0	5	0	0	हां	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	590
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	8
	एयर कुलर	210
	रेफ्रिजरेटर / फ्रीज	240

54	विद्युत कटौती की आवृत्ति	
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	6-8 घण्टे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	Nil

55	वोल्टेज अस्थिरता / उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता / उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
----	---	--------





	डीजल चलित जेनरेटर	0
	सौर उर्जा	0
	इमरजेंसी लाईट	120
	इन्टवर्टर्स	35
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	0

57 नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा के स्रोत			
	a क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
	सौर स्ट्रीट लाईट	25	
	बायोगैस	Nil	Nil
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	Nil	Nil
	b क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	Nil	Nil

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	260	औसतन 140 किग्रा0
	बायोगैस	0
	एलपीजी गैस	520	10.12
	विद्युत	8	40 unit
	सौर उर्जा	Nil	Nil



	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	Nil	Nil
59	वाहन की संख्या		
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार
a	जीप	14	डीजल
b	कार	40	डीजल एवं पेट्रोल
c	दो पहिया वाहन	315	पेट्रोल
d	विद्युत चालित वाहन	Nil	Nil
e	आटो	8	डीजल
f	ई-रिक्शा	30	इले0
g	अन्य ट्रक	3	डीजल
			तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
			60-70 किमी/प्रतिदिन
			40 किमी/प्रतिदिन
			20 किमी/प्रतिदिन
			Nil
			60 किमी/प्रतिदिन
			60 किमी/प्रतिदिन
			150 किमी/प्रतिदिन

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	36	डीजल	10 किमी/प्रतिदिन नोट : केवल जुताई - बुवाई के प्रयोग हेतु
b	कम्बाईन हारवेस्टर	Nil	Nil	Nil
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	Nil	Nil	Nil

61	ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)		
	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)





	ईंधन के प्रकार		गांव की संख्या	टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a	Nil										
b	Nil										

62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	मिट्टी के बर्तन	6	1,2	प्रति माह विद्युत का उपयोग
	झलिया उद्योग,	4	2	
	गाय के गोबर से दिये, बर्तन	30	3	

ग्राम उन्मेष संस्थान, बांदा टीम
अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव, निदेशक
राम कुमार सिंह
संजय कुमार
अनिल कुमार
रोहित हेमराज
एवं श्रीमती बन्दना



अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना



डी0पी0आर0ओ0 के साथ क्लाइमेट स्मार्ट प्लानिंग बैठक

ग्राम पंचायत – ऐंचवारा
विकासखण्ड – मानिकपुर
जनपद – चित्रकूट धाम कर्वी

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण जलवायु परिवर्तनशीलता –

प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/ झटके एवं तनाव –

ग्राम पंचायत ऐंचवारा जनपद चित्रकूट धाम कर्वी से लगभग 15 किमी की दूरी पर बाल्मीकि नदी के तट में जंगलो, पहाड़ो की प्राकृतिक नजारो से परिपूर्ण 10 मजरो में बसा हुआ है। इस ग्राम पंचायत में सभी मौसम, सर्दी, गर्मी, एवं बरसात का प्रभाव रहता है। 25 वर्ष पूर्व सर्दी नवम्बर माह से फरवरी-मार्च तक पड़ती थी किन्तु अब सर्दी देर से शुरू हो रही है, दिसम्बर माह के अन्त में सर्दी शुरू हो जाती है और जनवरी के बाद ही समाप्त हो जाती है। पहले बरसात मई माह से अगस्त माह तक होती थी और पूरे बरसात के दौरान एक दो दिन के अंतर पर वर्षा हो जाती थी, सितम्बर में भी वारिश हो जाती थी। किन्तु वर्ष 2022 में बरसात के मौसम में मई-जून में बारिश हुई ही नहीं और जुलाई माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई जिससे सूखा जैसी स्थिति बन गई। खेती-किसानी करने वाले लोगों से पता चला कि आज से 25 वर्ष पहले फसलों की खेती करने में केवल एक से दो सिंचाई करना पड़ती थी किन्तु फसलों में चार से पाँच बार सिंचाई करना पड़ी है। समुदाय के साथ चर्चा से यह जानकारी प्राप्त हुई कि पहले गर्मी मई-जून से लेकर अगस्त तक होती थी। किन्तु अब गर्मी मार्च से सितम्बर तक रहती है। विभिन्न प्रक्रिया के तहत पीआरए विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न टूल्स के माध्यम से सम्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया। आपदा-खतरा जोखिम प्रोफाइल से संबंधित सूचनाएं निम्नवार हैं

1. गांव को प्रभावित करने वाली अपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया जिनसे उनकी दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफसफाई आदि प्रभावित होते हैं। चर्चा के आधार पर आपदाओं की एक सूची प्राप्त हुई। इस सूची में सम्मिलित आपदाओं के प्रभाव एवं इनसे उत्पन्न समस्याओं की तुलनात्मक रैंकिंग के आधार पर उनका प्राथमिकीकरण किया गया। इस गांव की मुख्य आपदा छुट्टा जानवर एवं सूखा है। इससे खेती, आजीविका, स्वास्थ्य एवं पेयजल, साफसफाई आदि में जोखिम की संभावना बनी है।

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं ग्राम पंचायत ऐंचवारा को प्रभावित करते हैं। पिछले कई वर्षों से सूखे ने लगभग पूरे गांव को प्रभावित किया है।

मुख्य आपदा का नाम	जन वरी	फर वरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
सूखा												
लू												
शीत लहर												
आधी तुफान												
ओला – पत्थर												

आपदा का मौसमी कैलेंडर बनाने एवं उस दौरान समुदाय से हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा, वर्षा विहीन दिनों की संख्या में वृद्धि तथा चरम पर तापमान पहुंचने से बहुत सारी समस्याओं का सामना गांव को करना पड़ रहा है।

सूखा इस ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या है। जो प्रत्येक वर्ष समुदाय के खेती एवं मजदूरी को पूरी तरह प्रभावित करती है। साथ ही मई-जून में अत्यधिक गर्मी का पड़ना, सामान्यतः मानसून के दिनों में जून-जुलाई में वर्षा का न होना/कम होना आदि सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से प्रतीत हो रहे हैं जिसका दूरगामी प्रभाव पशुपालन में चारे का संकट, सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं बनकर पूरे वर्ष झेलना पड़ रहा है। पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल सूखा से प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसल में आंधी-तूफान एवं ओला पत्थर, पाला, तेज गर्मी एवं लू के कारण कम पैदावार की संभावना भी बहुत अधिक बनी रहती है। गर्मी के कारण से फसल जल्दी सूख जाती है शीतलहर से पशुपालन मुख्यतः बकरीपालन व मुर्गी पालन प्रभावित हो रहा है, ।

2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

क्रम	आसन्न आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1	सूखा	पेयजल	जलस्तर का नीचे जाना / पेयजल की कमी / संकट	पूरा गांव	550	25 कुओं व 70 हैण्डपम्प 14 प्राइवेट नलकूप का जलस्तर गमिर्यों में 2 से 3 मी0

						तक कम हो जाता है।
		कृषि	उपज का प्रभावित होना	पूरा गांव	643	340 हे0 खेती, 105 हे0 वन
		उद्यान / सब्जी उत्पादन	सिंचाई लागत अधिक	—	—	50-60 एकड सब्जी पर प्रभाव
		पशुपालन	जानवरों को चारा का संकट, तापमान बढ़ने से विभिन्न प्रकार के बीमारियों का होना व उत्पादन कम होना	गाय, भैंस एवं बकरी पालक	340	चरागाह
2	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को लू लगना, स्वास्थ्य खराब होना, टीकाकरण में बाधा	पूरा गांव	643 घर	स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होना, पेयजल संकट चारा का सूख जाना
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित		310 बच्चे	शिक्षा बाधित
3	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को ठण्ड लगना।	पूरा गांव - बुजुर्गों सांस की बीमारी में वृद्धि	221 बुजुर्ग एवं बच्चे	—
		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान	रोग लगना	—	उत्पादन में कमी

		पशुपालन	पशु क्षति, खेत में फसल का नुकसान	पूरा गांव	160 पशु पालक घर	प्रत्येक वर्ष 80-90 बकरियों एवं पशुओं की मृत्यु
4	आधी तुफान	फसल एवं पशु	फसलों को नुकसान आधी तुफान से जानवर प्रभावित	पूरा गांव	140 मिट्टी घर	घरों का खपरैल व कच्ची दीवारों व फसलों जानवरों को नुकसान
5	ओला- पत्थर	कृषि एवं पशु	पशु क्षति, खेत में फसल का नुकसान, जानवरों के घायल होना	पूरा गांव	160 पशु पालक घर	प्रत्येक वर्ष छोटे पशुओं का घायल हो जाते हैं।
		स्वास्थ्य एवं आवास	छोटे बच्चों, वृद्धजन, गिरने, चोट लगने का खतरा जानवरों के घायल होना	पूरा गांव	140 मिट्टी घर	कच्चे घरों का क्षतिग्रस्त होना, फसलों का नष्ट होना

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव

इस क्षेत्र के आजीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषिगत मजदूरी एवं पशुपालन है। सूखा के दौरान आजीविका हेतु लोग पलायन करते हैं। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इससे सम्बन्धित सूचनाएं संकलित कर संलग्न की गयी हैं।

3. नाजुकता विश्लेषण

आपदाओं का बार-बार सामना करने से उससे प्रभावित समुदाय सामाजिक, आर्थिक रूपसे कमजोर हो जाता है। समुदाय ग्राम पंचायत को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन, नाजुक स्थल आदि को जानना अति आवश्यक था। इसे जानने के लिए पुनः समुदाय, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि की मदद से नाजुक वर्ग; जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर गांव में नाजुक स्थल, एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों एवं उनकी संख्याओं के बारे में स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सचिव, समूह की महिलाओं, ग्राम सभा सदस्य आदि से जानकारी प्राप्त की गयी।

1. सूखा

समुदाय के साथ चर्चा से यह तथ्य निकल कर आया कि सूखा गांव की मुख्य बड़ी आपदा है। आज से 15 वर्ष पहले बरसात मई माह से अगस्त माह तक होती रहती थी, सितम्बर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु अब बरसात अनियमित और असमय होती है। विगत 5-6 वर्षों से बरसात के मौसम में जून में बारिश हुई ही नहीं और जुलाई माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। इससे सूखा जैसी स्थिति हो गयी है। जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। सूखे की स्थिति में निम्नलिखित गतिविधियां और वृद्धि कर रही है।

- गांव बाल्मीकि नदी के बीहड़ में बसा होने के कारण बड़ी-बड़ी कगारे व कटान क्षेत्र होने के कारण वर्षा का पानी बह कर निकल जाता है।
- गांव के खेतों में मेडबन्धी जैसी जलसंरक्षण की गतिविधियों की कमी है
- छुट्टा प्रथा में पशु खुले में चरते रहते हैं इस कारण पौधरोपण व जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं।
- वृक्षारोपण पौधरोपण की कमी है। गांव में बाग कम हैं लेकिन लोगो ने निजी खेत की मेंडो, तालाब के भीटो आदि में आंवला, अमरूद, आम आदि के वृक्ष लगाये हैं तथा पहाड़ो में वन क्षेत्र है जहां पर सागौन, पीषम, बबूल, आम, नीम, महुवा आदि के वृक्ष लगे हुए हैं।

सूखा का समुदाय पर प्रभाव

- पेयजल प्रभावित हुआ है गर्मी के दिनों में 62 कुओं व 213 हैण्डपम्पों एवं निजी नलकूपों का जल स्तर नीचे चला जाता है।
- सूखे के प्रभाव से खरीफ की फसल को लेना लोग कम कर रहे हैं।
- जानवरों का चारा संकट हो जाता है साथ ही तापमान बढ़ने से पशुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं।
- छुट्टा पशुओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।
- सूखे से उत्पादन प्रभावित होता है जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं।

2. लू

समुदाय के साथ चर्चा से यह निकल कर आया कि गर्मियों के दिनों में मई से जून तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और गर्म हवा चलने लगती है। सन 2022 में तापमान 50° बढ़ गया था। इससे समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है। पशुओं को चारा की एवं पेयजल हेतु पानी की समस्या होती है।

3. शीतलहर

सर्दियों के मौसम में 25 दिसम्बर से 20 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ कृषि को भी प्रभावित करता है। शीतलहर के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं।

बच्चों में निमोनिया, खांसी एवं दस्त की समस्या हो जाती है। फसलों पर मुख्यतः आलू, दलहन एवं तिलहन पर पाले का प्रभाव पड़ता है, परिणामस्वरूप पौधों की बढ़वार थम जाती है, फसल सूख जाती है। कीट-पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है।

4. ओला-वृष्टि

ओला से छोटे बच्चों, वृद्धजन, महिलाएं के गिरने, चोट लगने का खतरा जानवरों के घायल होना, घरों का क्षतिग्रस्त होना, फसलों का नष्ट होना आदि। 15 मार्च 2020 में गाँव ओला वृष्टि से चना, गेहूँ सरसों की फसल बहुत ज्यादा छति हुआ था।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढाचागत संरचना में कमियां हैं जो कि निम्नवार है-

- लोगों में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है, लोगों को कृषिगत कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है। लोग पशुपालन तो करते हैं किन्तु नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसल बीमा आदि की जानकारी बहुत कम लोगों को है।
- गाँव में समुदाय आधारित संस्थाओं की कमी है। कृषि केन्द्र, बीज केन्द्र, किसान संगठन, सामुदायिक अनाज बैंक, युवा मण्डल दल आदि सामाजिक संगठन की कमी हैं
- गाँव में अधिकांशत मुख्य फसलें गेहूँ, सरसों, चना, मटर, ज्वार बाजरा व अरहर ही उगाते हैं। खेती में विविधता मिश्रित खेती एवं मिश्रित फसलों एवं कम लागत, कम समय स्थायी कृषि आदि संबधित गतिविधियां नहीं है। जिससे किसानों को आपदा के समय जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- वैकल्पिक एवं सौर उर्जा सम्बधित गतिविधियां नहीं है। यहां 40 प्रतिशत लोगों के पास पक्की छतें हैं। जहां सौर उर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। सडक किनारे प्रकाश हेतु एवं सिंचाई हेतु सौर उर्जा की प्रबल सम्भावना है।
- गाँव में गाय, भैस आदि पशुपालन के साथ गोबर का प्रयोग जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु करते हैं लेकिन सडकों के किनारे ढेर लगाकर घूर बना देते हैं तथा कुछ जगहों पर कण्डे बनाकर खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है।
- कृषिगत गतिविधियों में रासायनिक कीटनाषकों, खरपतवार नाषक कीटनाषक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
- मानसून के दिनों में जलजनित मच्छर मक्खियों की बीमारी की अधिकता रहती है। यहां पर टायफायड बुखार प्वास आदि की बीमारियां होती रहती है।
- यहां पर कृषि परामर्ष केन्द्र एवं मौसम पूर्वा अनुमान की व्यवस्था न होने के कारण लोगों की नाजुकता में वृद्धि होती है।

- गांव में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग का अभाव है यहां के लोगों को कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी न होने से योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।

4. क्षमता विश्लेषण

आपदाओं के सन्दर्भ में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गांव स्वयं में कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आकलन किया गया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं एवं खतरों से गांव के साथ ही आसपास उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते हैं। यह संसाधन भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनकी पहचान होने से आपदा के खतरों से निपटने में आसानी होती है। ग्राम पंचायत ऐंचवारा कर्वी जिले से लगभग 15 किलोमीटर मानिकपुर रोड पर स्थित है समुदाय के साथ बात करने से पता चला है कि ऐंचवारा गांव में 10 मजरे हैं। 4 ऑगनवाडी केंद्र, 2 पूर्व मा0 विद्यालय, 2 हायर सेकेन्डरी प्राइवेट 2 प्राथमिक विद्यालय, 01 25 कुआ, 70 हैंडपम्प हैं।

सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े एवं तथ्य

विशेषकर संसाधनों के सन्दर्भ में किये गये क्षमता आकलन को तीन भागों में विभक्त किया गया, जिसमें गांव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण एवं सुविधा मानचित्र परअंकित किया गया, जबकि मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनाएं प्राप्त की गयीं, जो निम्न प्रारूप पर दर्ज हैं—

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

विवरण	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	गांव से दूरीकिमी0
प्राथमिक विद्यालय	2		0
पूर्व माध्यमिक विद्यालय (प्राइवेट विद्यालय)	2		0
पंचायत भवन	1		0
सरकारी राषन कार्ड की दुकान	1		0
थाना	1		5
कचहरी कर्वी	1		15
जिला चिकित्सालय एम्बुलेंस व्यवस्था कर्वी	1		15
विकासखण्ड कार्यालय मानिकपुर	1		20
प्राथमिक स्वास्थ्य ऐंचवारा	1		0

आपदा विभाग, कर्वी	1		15
पोस्ट ऑफिस,	1		0
बिजली विभाग,	1		0
इण्टर कालेज	1		0
फायर स्टेशन	1		15
बस स्टेशन	1		15
रेलवे स्टेशन कर्वी	1		15
खाद बीज, दवा केन्द्र	1		0
बजार	1		0
बैंक	1		0

प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

संसाधन	संख्या	विवरण/नाम संख्या	/संपर्क	दूरी किमी0
तलाब	4			0 से 1
कुंआ	25			0 से 1
नला	1			1
न्दी	1			.5
कृषिगत क्षेत्र	616.2			0 से 5
खुला क्षेत्र/ सामुदायिक भूमि	154			0 से 5
मानव संसाधन				
ग्राम प्रधान	1	सुनील कुमार शुक्ला		9455826501
आंगनवाड़ी	4			
आषा बहू	2			
एएनएम	1			

झोलाछाप डाक्टर	0		
भूतपूर्व सैनिक	8		

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं से समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं और ये सुविधाएं समुदाय की पहुँच में हैं कि नहीं। संसाधनों से जुड़े तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण संकलित किया गया है।

वित्तीय संसाधन –

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध है। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध होने वाले सम्भावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे –

क्र०सं०	मद	वर्ष 2022-23
1	15वां वित्त आयोग	85 लाख रुपये
2	स्वयं के राजस्व का स्रोत	0

क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत ऐंचवारा की कार्ययोजना का निर्माण–

क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी 4 सेक्टरों अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति उससे सम्बन्धित समस्याएँ उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार विमर्श के बाद क्ललाईमेट स्मार्ट ग्राम अवधारणा के तहत ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार किया गया है। जिसमें आपदा जोखिम, के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन तैयार किया गया है।

सेक्टरवार क्ललाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत ऐंचवारा की कार्ययोजना तालिका –

क्र०सं०	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसमपत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिचय
1	सेक्टर-1 मानव विकास एवं	कचरे से पटे 4 कुएं की सफाई	ऐंचवारा खास के रास्ते से होते हुए लौघटा पुरवा से होते हुए	विभिन्न स्थानों पर	2 लाख	3 माह	15वां वित्त एवं

	सामाजिक सुरक्षा साफ-सफाई एवं स्वच्छता	सुरक्षा एवं मरम्मत कार्य					राज्य वित्त
2		कूड़ा पात्र	कूड़ा निस्तारण हेतु कूड़ा पात्र 14	विभिन्न स्थानों पर	2 लाख	1 माह	15वां वित्त व ग्राम निधि
3		शौचालय निर्माण (दिव्यांग)	महिला/पुरुष दिव्यांग हेतु शौचालय निर्माण	इण्टर कालेज के पास	6 लाख	6 माह	15वां वित्त व ग्राम निधि
4		जैविक-अजैविक कूड़ा प्रबन्धन केन्द्र	ग्राम पंचायत की जमीन पर संरचना का निर्माण	ग्राम समाज की जमीन पर	3.5 लाख	3 माह	15वां वित्त व ग्राम निधि
5		हैण्डपम्प रिबोर	पेयजल की उपलब्धता हेतु 10 हैण्डपम्पों को रिबोर कराना	विभिन्न स्थानों पर	6 लाख	6 माह	15वां वित्त व ग्राम निधि
6		नाला निर्माण	वॉटर रिचार्ज एवं कृषि सिंचाई के लिए	विभिन्न स्थानों पर	20 लाख	3 माह	15वां वित्त व ग्राम निधि
7		पुलिया निर्माण	आवागमन व जल निकास हेतु सुविधा	विभिन्न स्थानों पर	10 लाख	3 माह	15वां वित्त व ग्राम निधि
8	सेक्टर-2 बुनियादी/आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	स्कूल के भवनों का जीर्णोद्धार	प्रा0वि0 के छत की मरम्मत	प्रा0वि0	8 लाख	6 माह	15वां वित्त एवं राज्य वित्त
9		सोखता गड्डा	भूगर्भ जल प्रबन्धन हेतु 30 सोखता गड्डा	विभिन्न स्थानों पर	3 लाख	5 माह	15वां वित्त एवं

							राज्य वित्त	
10		तालाब संरक्षण	तालाब रिटेनिंगवॉल सुन्दरीकरण	में व	तालाब	6 लाख	5 माह	15वां वित्त, राज्य वित्त एवं मनरेगा
11		आर0सी0सी0 / इण्टरलॉकिंग / खण्डजा	खण्डजा निर्माण 600 मी0		—मनोहर बाबा, लौधटा पुरवा बवना पुरवा चमन्धन पुरवा गजटा पुरवा रामदास का पुरवा	60 लाख	1 माह	15वां वित्त, राज्य वित्त एवं मनरेगा
12			इण्टरलॉकिंग 600 मी0		मनोहर बाबा, लौधटा पुरवा बवना पुरवा चमन्धन पुरवा गजटा पुरवा रामदास का पुरवा	50 लाख	1 माह	15वां वित्त, राज्य वित्त एवं मनरेगा
16	आजीविका कृषि पशुपालन	स्थायी कैटल एवं गोट पालन	20 लाभार्थी		सभी मजरो पर	20 लाख	6 माह	15वां वित्त, राज्य वित्त एवं मनरेगा
17	सौर ऊर्जा / वैकल्पिक ऊर्जा	सौर ऊर्जा	50 लाभार्थी		घरों की छतों पर	50 लाख	6 माह	15वां वित्त, राज्य वित्त एवं मनरेगा

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत ऐंचवारा विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया—

वातावरण निर्माण

ग्राम ऐंचवारा बेंदा की आगामी वित्तीय वर्षो हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान जी द्वारा 17 फरवरी 2023 को पूरे ग्राम सभा में लाउडस्पीकर द्वारा सूचना की गयी कि दिनांक 20 फरवरी 2023 को पंचायत भवन ऐंचवारा में खुली बैठक आयोजित की गयी है।



खुली बैठक

ग्राम पंचायत ऐंचवारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 20 फरवरी 2023 को पंचायत भवन में खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सदस्य, सचिव, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आंगनबाडी कार्यकर्त्री, आषा, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरुष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए।

इसमें ग्राम पंचायत के सभी मजरो से कुल 98 लोगों ने प्रतिभाग किया इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार शुक्ला ने किया। बैठक के प्रारम्भ में सभी का स्वागत परिचय ग्राम पंचायत सचिव श्री भूपेन्द्र द्विवेदी जी द्वारा किया गया। बैठक के उद्देश्य पर सचिव महोदय ने प्रकाश डाला एवं बताया कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरा विश्व झेल रहा है। इसका पूरा प्रभाव हमारी ग्राम पंचायत ऐंचवारा एवं ग्राम वासियों पर पड रहा है। सरकार इस दिषा में सतत प्रयास कर रही है यह बैठक इसी उद्देश्य पर कार्य करने हेतु आयोजित की गयी है। उत्तर प्रदेश के 39 जनपद जो कि जलवायु परिवर्तन के अधिक प्रभाव को झेल रहे है। चित्रकूट धाम कर्वी जनपद भी इसी में सम्मिलित है कर्वी के मानिकपुर ब्लाक अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऐंचवारा को इस कार्य के लिए चयनित किया गया है। पहले भी हमारी ग्राम पंचायत ऐंचवारा की विकास योजना बनी है परन्तु इस तीन चार दिनों में जलवायुगत/ मौसम से सम्बधित समस्याओं से सम्बधित समस्याओं के समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दों के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। जिसमें हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए यहां ग्राम पंचायत ऐंचवारा के पूर्व में बाल्मीकि नदी है जो कि परि”चम और पूरब दिषा तक फैली है बरसात के दिनों में नदी में बाढ आने की बजह से पूरी ग्राम पंचायत प्रभावित होती होती है। गांव का अधिकांश क्षेत्र डूब क्षेत्र में आता है इस नदी के प्रभाव से ही ग्राम मैदा के 10 मजरे बने है। जो कि उचें क्षेत्रों में जाकर बसाहट हुयी है। नदी के कारण ग्राम पंचायत का अधिकांश क्षेत्र कटाव युक्त व बजरं हो चुका है बरसात में अधिकांश लोगों के आबास बाढ से प्रभावित हो जाते हैं। यह हमारे लिए जहां जीवन दायिनी है वहीं खतरें भी पैदा करती है।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण —

प्रशासनिक समिति	निर्माण कार्य समिति	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
अध्यक्ष – सुनील षुक्ला, वंदना, अषोक कुमार	अध्यक्ष – अषोक कुमार, सदस्य – अरविन्द कुमार, नत्थू, अजय कुमार, षान्ती देवी, वंदना	अध्यक्ष – अरविन्द कुमार, सदस्य – अषोक कुमार, नत्थू, अजय कुमार, छोटे लाल, षुभम, वन्दना, षान्ति देवी
जल एवं स्वच्छता समिति अध्यक्ष – सुनील षुक्ला, वंदना, षुभम, षेषन, अजय कुमार, नत्थू	नियोजन एवं विकास समिति – नत्थू कुसुमा, वंदना, अरविन्द कुमार अध्यक्ष – ब्रजेष कुमार सिंह सदस्य – रानी, नरेन्द्र, राजकुमारी, रूद्रप्रताप, ब्रजबिलाष	शिक्षा समिति अध्यक्ष – सुनील षुक्ला, वन्दना, षान्ति, अजय, छोटे लाल, कुसुमा सदस्य – षान्ति देवी, वंदना, अजय, छोटे लाल, कुसुमा देवी

क्रमांक	पंचायत सदस्य का नाम	मोबाइल नम्बर
1	सुनील कुमार ग्राम प्रधान	
2	अषोक	9936040096
3	कुसुमा देवी	
4	श्राजू	9559836154
5	अरविन्द	9415387062
6	वेद प्रकाष	8810722215
7	सरोज सिंह	
8	वंदना	8953244067
9	छोटी	
10	देषराज	9598874892

ट्रान्जेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायु गत अपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, 9 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं पुरुष समुदाय के सभी वर्गों के लोगों ने ग्राम पंचायत के 10 मजरो के ट्रान्जेक्ट वाक किया। पंचायत भवन ऐंचवारा से शुरू कर लौघटा पुरवा, रामस्वरूप का डेरा,सत्ती पाल का डेरा,सोधन भवटी, मनोहर बाबा का डेरा, बवना पुरवा,गड़रियन पुरवा,ठकुरन डेरा,गजटा,लालन टोला, गर्गन पुरवा तथा बरौड़ा बाबा अदि के साथ बाल्मीकि नदी का क्षेत्र तालाब,जंगल वा पहाड़ के भ्रमण के साथ पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुयी। ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किमी है यह फैलाव बाल्मीकि नदी वा पहाड़ की वजह से पूरा गांव मजरो में बस है।



ट्रान्जेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियां –

बसाहट	<p>कर्वी से आगे 15 कि०मी० जाने पर मानिकपुर रोड़ ग्राम पंचायत की शुरुआत हो जाती है। ग्राम पंचायत के 10 मजरे हैं जो दूर दूर उबड खाबड बाल्मीकि नदी के टीलों व स्वयं खेतों में बसा हुआ है। यहां पर कच्चे व पक्के मकानों में लोग गुजर बसर कर रहे है।</p> <p>यहां पर बाल्मीकि नदी का प्रभाव देखने को मिलता है क्योकि लोगों ने अपने घरों को उचें में बसाने का प्रयास किया है।</p> <p>अधिकांश मजरो में खपरैल वाले कच्ची मिट्टी के घर हैं। प्रत्येक मजरे तक जाने के लिए सम्पर्क मार्ग है।</p> <p>सभी मजरो में कुए और हैण्डपम्प लगे हुए हैं जिनसे लोग पीने व नहाने तथा घरेलु कार्य के लिए प्रयोग करते है।</p> <p>यहां पर छुट्टा पशुओं का झुण्ड भी देखने को मिला जो अलग अलग स्थानों में देखने को मिला। इसके अलावा लोगों ने बकरी गाय भैंस आदि पशु पाल रखे है।</p>
ताल तलैया	ग्रामपंचायत के अन्तर्गत 4 छोटे छोटे तालाब हैं, जो बरसात के मौसम में भरते है और दिसम्बर जनवरी तक सूख जाते है।
नला	ग्राम पंचायत में सदाबहारी नाला नहीं है मात्र बरसाती नालें हैं जो वर्षा के मौसम में खेतों व घरों का पानी एकत्र होकर नाले के रूप में कटाव करता हुआ नदी में गायब हो जाते है।
न्दी	ग्राम पंचायत के पूर्व दिषा में नदी है जिसका प्रभाव गांव में दिखता है लोगों ने उचें टीलों में अपने आवासों को बनाये हुए है।

हरित क्षेत्र बाग -बगीचा	ग्राम पंचायत के भ्रमण के दौरान हरित क्षेत्र कम देखने को मिले।
भौतिक संसाधन	ग्राम पंचायत के अर्न्तगत हैण्डपम्प व कुओं से ही पानी की आवश्यकता की पूर्ति होती है। यहां पर 25 कुएं हैं जिनमें से मात्र 6 कुओं का प्रयोग हो रहा है। तथा 70 हैण्डपम्प हैं। यहां पर 4 आंगनबाडी केन्द्र है जो विभिन्न विद्यालयों में संचालित होते हैं। ग्राम पंचायत के अर्न्तगत 2 प्राथमिक ,2 पूर्व माध्यमिक व 1 इ0का0 है। सभी विद्यालयों में षौंचालय व हैण्डपम्प लगे हुए हैं।

सामाजिक मानचित्रण

सभी मजरो के भ्रमण के पश्चात ग्राम पंचायत बेदा में स्थित बगूलामुखी देवी मन्दिरके परिसर में ग्राम वासियों के उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं-

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहद्दी का क्षेत्रफल	5 वर्ग कि0मी0	तीनों बसाहट बाग बगीचा एवं खेती का स्थान मिलाकर
कुल मजरो की संख्या	10	ग्राम पंचायत के सभी मजरे
कुल घरों की संख्या	643	ग्राम पंचायत के अर्न्तगत सभी रिहायषी घर
कुल पक्के घरों की संख्या	215	प्रत्येक मजरे पर अधिकांशतः पक्की छत वाले मकान
कुल कच्चे घरों की संख्या	428	प्रत्येक मजरे पर अधिकांशतः खपरैल व मिट्टी से बने हुए घर
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	360	सभी मजरो पर
दिव्यांगजनों की संख्या	45	दिव्यांगजनों में 13 महिलाएं व 34 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	15	सभी मजरो पर
इणियामार्का हैण्डपम्प	70	सभी मजरो पर
कुआं	25	सभी मजरो पर

जातिगत / श्रेणीगत विवरण


सामान्य जाति के घरों की संख्या	128
पिछडी जाति के घरों की संख्या	280
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	235
कुल घरों की संख्या	643

ग्राम पंचायत ऐंचवारा, जनपद से 15 कमी० की दूरी पर मानिकपुर रोड़ पर बाल्मीकि नदी किनारे के पश्चिम में बसा हुआ है। इस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत नदी बाढ़ से होने वाली कटाव के कारण यहां बड़ी-बड़ी कगारे बन गयी है। जिससे गांव 10 मजरों में बंट चुका है। यहां ठाकुर, पण्डित, लाला धोबी, कहार, यादव, केवट, कुम्हार, चमार, डोमार, कोरी आदि जातियां निवास करती है।

ग्राम में कुल 360 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है। ग्राम पंचायत ऐंचवारा में 15 परिवार भूमिहीन है। ऐंचवारा खास के उत्तर पूर्व में निचली भूमि है इसलिए लोगों ने अपने मकान छोड़कर अपने खेतों में आवास बनवायें है। यहां पर ऐंचवारा खास के पास बगुला मुखी देवी का मन्दिर है जिसमें बड़ी संख्या में लोग धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आते है। यहां 47 दिव्यांगजनों में 13 महिलाएं व 34 पुरुष है। सभी आंशिक रूप से विकलांग है। 60 प्रतिशत लोग साक्षर की श्रेणी में आते है जबकि 55 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। 70 घर ऐसे है जहां महिला मुखिया है।

आजीविका के साधन –

आजीविका के साधन	व्यक्तियों की संख्या
सरकारी नौकरी	32
छोटे उद्योग-धंधे	21
कृषि आधारित	2450
कला एवं शिल्पकार	6
पशुपालन	620
लोकल दुकान	65
गैर कृषि मजदूरी	350
अन्य	60



आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव –

क्र० सं०	वर्ष	आपदा / खतरा	घटनाओं का कारण	मृतको की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1	1979	सूखा	वर्षा न होना व तापमान में वृद्धि से नीचे चले जाना इसकारण से बड़े बड़े वृक्ष सूख गये।	.	गांव की 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी।	400 परिवार प्रभावित	सरकारी सहायता प्राप्त हुई।
3	2005	बाढ़	अति वृष्टि से बाढ़ के कारण घर गिर गये		450 परिवार	फसलें नष्ट हो गयी और घर गिर गये।	सरकार द्वारा राहत शिविर बनाकर लोगों का सहयोग किया गया।
4	2005	सूखा	वर्षा न होना व तापमान में वृद्धि से नीचे चले जाना इसकारण से बड़े बड़े वृक्ष सूख गये।		गांव की 70 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी।	775 परिवार प्रभावित	सरकार द्वारा सूखा राहत पैकेज दिये गये।
5	2013	अतिवृष्टि	अधिक वर्षा से खड़ी फसलें नष्ट हो गयी		260	खरीफ की फसलें नष्ट जिसमें ज्वार मूग उडद बाजरा प्रमुख है।	कोई सहयोग नहीं मिला
	12 जून 2019	तपमान 48 डिग्री हुआ	जन जीवन अस्त व्यस्त				

6	2022	लू का प्रकोप	गर्म हवा व कडीधूप के प्रभाव से लोगों व जानवरों को नुकसान		गांव के सभी परिवार प्रभावित	डायरिया व बुखार के रोगियों में वृद्धि	सरकार द्वारा स्वास्थ्य कैम्प लगाकर लोगों का इलाज किया गया।
7	2020	कोरोना का प्रभाव	हवा में फैलने वाली बीमारी			रोजगार बन्द लोग घरों में कैद	लाक डाउन

आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम –

ग्राम पंचायत बेंदा का ऐतिहासिक समयरेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद सामुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदायें इस ग्राम पंचायत को कब-कब प्रभावित कर रही है। इस क्रम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा जानने का प्रयास किया गया। इसके अन्तर्गत सामुदाय ने माना कि सूखा एक ऐसी समस्या है कि जो पूरे क्षेत्र को लगातार प्रभावित कर रही है। इससे लोगों की आजीविका तो प्रभावित हो ही रही है लोग पलायन को भी मजबूर हो रहे हैं। यह लगातार प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। हाल के वर्षों में सूखा के अलावा आंधी-तूफान ओला, कोरोना एवं पीतलहर का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ा है। प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत दर्ज किया गया है –

आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम –

ग्राम पंचायत बेंदा का ऐतिहासिक समयरेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद सामुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदायें इस ग्राम पंचायत को कब-कब प्रभावित कर रही है। इस क्रम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा जानने का प्रयास किया गया। इसके अन्तर्गत सामुदाय ने माना कि सूखा एक ऐसी समस्या है कि जो पूरे क्षेत्र को लगातार प्रभावित कर रही है। इससे लोगों की आजीविका तो प्रभावित हो ही रही है लोग पलायन को भी मजबूर हो रहे हैं। यह लगातार प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। हाल के वर्षों में सूखा के अलावा आंधी-तूफान ओला, कोरोना एवं पीतलहर का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ा है। प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत दर्ज किया गया है –

क्र० सं०	वर्ष	आपदा / खतरा	घटनाओं का कारण	मृतको की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
----------	------	-------------	----------------	-----------------	--------------------------	--------------	-------------------------------

1	1979	सूखा	वर्षा न होना व तापमान में वृद्धि से नीचे चले जाना इसकारण से बड़े बड़े वृक्ष सूख गये।		गांव की 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी।	400 परिवार प्रभावित	सरकार द्वारा योजना चलाकर मिट्टी के कार्य व खाद्यान्न योजना चलायी गयी।
3	2005	बाढ़	अति वृष्टि से बाढ़ के कारण घर गिर गये		450 परिवार	फसलें नष्ट हो गयी और घर गिर गये।	सरकार द्वारा राहत निधि बनवाकर लोगों का सहयोग किया गया।
4	2005	सूखा	वर्षा न होना व तापमान में वृद्धि से नीचे चले जाना इसकारण से बड़े बड़े वृक्ष सूख गये।		गांव की 70 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी।	775 परिवार प्रभावित	सरकार द्वारा सूखा राहत पैकेज दिये गये।
5	2013	अतिवृष्टि	अधिक वर्षा से खड़ी फसलें नष्ट हो गयी		260	खरीफ की फसलें नष्ट जिसमें ज्वार मूग उडद बाजरा प्रमुख है।	कोई सहयोग नहीं मिला
	12 जून 2019	तपमान 48 डिग्री हुआ	जन जीवन अस्त व्यस्त				
6	2022	लू का प्रकोप	गर्म हवा व कडीधूप के प्रभाव से लोगों व जानवरों को नुकसान		गांव के सभी परिवार प्रभावित	डायरिया व बुखार के रोगियों में वृद्धि	सरकार द्वारा स्वास्थ्य कैम्प लगाकर लोगों का इलाज किया गया।

7	2020	कोरोना का प्रभाव	हवा में फैलने वाली बीमारी			रोजगार बन्द लोग घरों में कैद	लाक डाउन
---	------	------------------	---------------------------	--	--	------------------------------	----------

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव –

क्र० सं०	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है
				अधिक	मध्यम	कम	
1	कृषि	460	सूखा		✓		<ul style="list-style-type: none"> • खेत की खड़ी फसल सूख जाती है। • सिंचाई खर्च अधिक लगता है। • जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। • दुग्ध उत्पादन घट जाता है। • फसलों की बढ़वार नहीं होती है। • बेरोजगारी बढ़ती है। • लोग पलायन को मजबूर होते हैं। • छुट्टा प्रथा को बढ़ावा मिलता है।
2			शीतलहर (पाला)				<ul style="list-style-type: none"> • शीत लहर से फसले झुलस जाती है। • सरसों में माहू का प्रकोप बढ़ जाता है। • अरहर की फसल सूख जाती है। • फसलों का फूल मरता है जिससे उत्पादन घट जाता है।
			ओलावृष्टि				<ul style="list-style-type: none"> • कच्चे घरों का खपरैल टूट जाता है। • घर गिर जाते हैं। • फसलों को भारी नुकसान होता है। • ओला वृष्टि से जानवर घायल होते हैं।
2	मजदूरी	180 परिवार	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है। • खान-पान पर प्रभाव पड़ता है। • आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है।

						<ul style="list-style-type: none"> ● आजीविका प्रभावित होती है। ● पलायन करना पड़ता है।
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● मजदूरी नहीं मिल पाती है। ● स्वास्थ्य खराब रहता है। ● खाने की समस्या हो जाती है। ● खर्चा बढ़ जाता है।
3	पशुपालन	(गाय, भैस, बकरी, मुर्गी, पालन आदि)	सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● पशुओं में दूध उत्पादन कम हो जाता है। ● गाय-भैसों को पीने के पानी की समस्या हो जाती है। ● चारा कम हो जाता है। ● छुट्टाप्रथा को बढ़ावा मिलता है। ● तपती धूप के कारण जानवरों में बीमारी हो जाती है।
			षीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● षीतलहर से मुर्गीपालन में मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। ● बकरियों में रोग होने से मृत्यु दर संख्या बढ़ जाती है। ● पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ● चारे की समस्या बढ़ जाती है।
3	स्वयं का व्यवसाय (छोटी दुकान आदि)		सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● लोग दुकानों से सामान कम खरीदते हैं। ● उधारी लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ● व्यवसाय प्रभावित होता है। ● सामान महंगा हो जाता है।
			षीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● व्यवसाय मध्यम हो जाता है। ● लेन-देन पर प्रभाव पड़ता है।

खरीफ की फसल सुरक्षा के लिए उपाय :-

मूंग उड़द एवं तिल की फसलें अधिकांशतः पानी की अतिवृष्टि से होती हैं इसके लिए खेतों से पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही अरहर में उकठा रोग के लिए किसानों को ट्राइकोडर्मा से बीज एवं भूमि शोधित कराया जायेगा।

रबी की फसल सुरक्षा के लिए उपाय :-

चना मटर मसूर की फसल को उकठा रोग से बचाने के लिए किसानों को ट्राइकोडर्मा से बीज एवं भूमि शोधित कराया जायेगा। पाला से बचाव हेतु खेत के चारों ओर धुआ व खेत में पानी का भराव किया जायेगा।

गेंहू सरसों को रोग से बचाव हेतु आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जायेगा।

ग्राम उन्मेष संस्थान बांदा टीम –

1. अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव (निदेशक)
2. राम कुमार सिंह
3. संजय कुमार श्रीवास्तव
4. अनिल कुमार सिंह
5. बुद्धविलास
6. श्रीमती वन्दना
7. हेमराज सिंह

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
दृष्टि स्थान और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)¹⁰² = ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)¹⁰³</p> <p>= ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत¹⁰⁴ = ₹40,000/हेक्टेयर¹⁰⁵</p>	

102 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

103 लागत बाजार भाव के अनुसार

104 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

105 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सूझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	------------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़ों का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंदी के लिए ¹⁰⁶ = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ¹⁰⁷ = ₹90,000	

106 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

107 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती अपनाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000</p> <p>c. फ़सल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000 कुल लागत¹⁰⁸: vक्षेत्र (हेक्टेयर) * e-> 2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100</p>	
		<p>चारा अनुपूरक</p> <p>चरण 1: 30% पशुधन के लिए</p> <p>चरण 2: 60% पशुधन के लिए</p> <p>चरण 3: 100% पशुधन के लिए</p>	<p>पूरक आहार की लागत¹⁰⁹ = 6 रुपये प्रति दिन/ मवेशी अंतिम गणना = मवेशियों की संख्या * 365 * 20</p>	

108 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश
109 आईसीएआर - राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	------------------------------------

जल प्रबंधन और जल निकायों का कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को संलग्न करना</p>	10 m ³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत ¹¹⁰ = ₹35,000 1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = ₹35,000	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत¹¹¹: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m³ क्षमता) का निर्माण = : ₹7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3, 75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट</p>	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p>चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p>चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें</p>	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

¹¹⁰ छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

¹¹¹ एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	------------------------------------

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹¹² : ₹50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 से 10 लाख	

¹¹² प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	------------------------------------

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को संलग्न करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता¹¹³ (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>	

113 लागत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹¹⁴ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ¹¹⁵ = ₹15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट ¹¹⁶ = ₹50,000 प्रति यूनिट	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है ¹¹⁷ = मात्रा (किलो/दिन) जैविक अपशिष्ट / 2	
		चरण II और III: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹¹⁸ : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹35,00,000	

114 लागत बाजार भाव के अनुसार

115 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

116 लागत बाजार भाव के अनुसार

117 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

58 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	------------------------------------

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

1	सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>सौर क्षमता की गणना के लिए एमएनआरई सोलर रूफटॉप पोर्टल का उपयोग करें।¹¹⁹</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>(प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)*</p> <p>0.82/ 1000</p> <p>= ___ टन</p> <p>CO<</p>
		<p>चरण 2 और 3:</p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p> <p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत¹²⁰ = ₹50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

119 https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator

120 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत¹²¹ = ₹1 लाख</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p> <p>प्रति पंप लागत¹²² = ₹3 से 5 लाख</p>	<p>डीज़ल की खपत को कम करना = 390 लीटर/प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂e)</p>

121 स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

122 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मुला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹3,000¹²³</p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110¹²⁴</p>	

123 बाजार दर के अनुसार लागत

124 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	1 हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000 1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000 ¹²⁵	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियाँ और फलों और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागो: ₹8-15 लाख प्रति यविनट लागत: 8-15 लाख प्रति यूनिट ¹²⁶	
---	---	--------------------------	---	--

125 बाजार दर के अनुसार लागत

126 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना


लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



- लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना
- लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना
- लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।
- लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



- लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



- लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, सतत और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



- लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली
- लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना
- लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



- लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना
- लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर

उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िकस रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल, (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल संलग्न हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और साँस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेडेंसरॉक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

नोट्स



